27

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मीडिया कवरेज में नैतिक मानक

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

सत्ताईसवां प्रतिवेदन

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

सत्रहवीं लोक सभा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मीडिया कवरेज में नैतिक मानक

01.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

01.12.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ अग्रहायण, 1943 (शक)

विषय-सूची		
		पृ. सं.
समिति की संरचना (2019-20)		
समिति की संरचना (2020-21)		
समिति की संरचना (2021-22)		
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन		
भाग एक		
एक	प्रस्तावना	
दो	प्रिंट मीडिया	
	(एक) प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों के पालन के लिए मौजूदा संहिताएं/अधिनियम/तंत्र	
	(दो) प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले	
तीन	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	
	टेलीविजन चैनल	
	(एक) टीवी चैनलों में नैतिक मानकों को बनाए रखने हेतु मौजूदा संहिताएं/अधिनियम/तंत्र	
	(दो) टीवी चैनलों द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले	
	प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया में स्व-विनियमन	
	एक. स्व-विनियामक निकायों की चिंताएं	
	टेलीविजन रेटिंग पॉइन्ट (टीआरपी)	
चार	डिजिटल/सोशल मीडिया	
पांच	विविध	
	पेड न्यूज	
	फर्जी खबरें	
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)	
	शिकायत निवारण तंत्र/लोकपाल	
भाग-दो		
टिप्पणियां/सिफारिशें		
परिशिष्ट*		
एक.	18.03.2020 को आयोजित 20वीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	15.10.2020 को आयोजित दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	
तीन.	16.11.2021 को आयोजित दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश	

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्री विजय कुमार दुबे
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री पी. आर. नटराजन
13. श्री संतोष पान्डेय
14. श्री निशीथ प्रामाणिक
15. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
16. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
17. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
18. श्री संजय सेठ
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
21. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री सुरेश गोपी
26. श्री मो. नदीमुल हक
27. श्री सैयद नासिर हुसैन
28. डॉ. नरेन्द्र जाधव
29. श्री शक्तिसिंह गोहिल
30. श्री पीरामल नाथवानी*
31. रिक्त#

समिति का समाचार भाग - दो, पैरा संख्या 542 दिनांक 13 सितंबर, 2021 के तहत 13 सितंबर, 2019 को गठन हुआ।
*समाचार भाग - दो पैरा संख्या 1370 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के तहत 22 जुलाई, 2020 को समिति में नामनिर्देशित।
#27 मार्च, 2020 को श्री बेनी प्रसाद वर्मा, संसद सदस्य, राज्य सभा का निधन।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल*
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री जयदेव गल्ला
15. श्री संजय सेठ
16. श्री चंदन सिंह
17. श्री तेजस्वी सूर्या
18. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
19. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
20. श्री गणेश सिंह*
21. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा*

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

- सुश्री सुनीता दुग्गल, श्री गणेश सिंह और श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (श्री सन्नी देओल के स्थान पर) को समिति में नामनिर्देशित किया गया, देखिए समाचार भाग - दो का पैरा संख्या 2822, दिनांक 27 जुलाई, 2021

<u>संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना</u>

डॉ. शशि थरूर - सभापति

<u>लोक सभा</u>

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
4. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. सुश्री सुनीता दुग्गल
7. श्री जयदेव गल्ला
8. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
9. डॉ. सुकान्त मजूमदार
10. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
11. सुश्री महुआ मोइत्रा
12. श्री संतोष पान्डेय
13. श्री पी. आर. नटराजन
14. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
15. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
16. श्री संजय सेठ
17. श्री गणेश सिंह
18. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
19. श्री तेजस्वी सूर्या
20. डॉ. टी. सुमति (ए.) तामिझाची थंगापंडियन
21. **रिक्त**

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. श्री जॉन ब्रिटास
24. डॉ. सुभाष चन्द्र
25. श्री वाई. एस. चौधरी
26. श्री रंजन गोगोई
27. श्री सुरेश गोपी
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफर इस्लाम
30. श्री जवाहर सरकार
31. **रिक्त**

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री वाई. एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
3.	श्रीमती रिंकी सिंह	-	कार्यकारी सहायक अधिकारी

समाचार भाग - दो, दिनांक 9 अक्टूबर, 2021 का पैरा संख्या 3184 के तहत समिति का 13 सितंबर, 2021 को गठन।

प्राक्कथन

मैं, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) ने विस्तृत जांच करने तथा संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए इस विषय का चयन किया था। यद्यपि समिति (2019-20) के कार्यकाल के दौरान इस विषय की जांच पूरी नहीं की जा सकी थी। उक्त विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा व्यापक परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) ने इसकी आगे जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए इस विषय का पुन: चयन किया। यद्यपि प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे दिया गया था, तथापि समिति का कार्यकाल समाप्त होने के कारण इसे वर्ष 2020-21 के दौरान स्वीकार नहीं किया जा सका। इसलिए, समिति ने 2021-22 के दौरान एक बार पुन: इस विषय का चयन किया ताकि प्रतिवेदन को अंतिम रूप से स्वीकार कर सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 18.03.2020 को इस विषय पर जानकरी दी। समिति ने 15.10.2020 को न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), प्रेस कांउसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) और प्रसार भारती के विचार सुनने के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, पीसीआई तथा एनबीए से लिखित जानकारी/उत्तर प्राप्त भी हुआ।

4. समिति ने 17.11.2021 को आयोजित अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया तथा उसे स्वीकार किया। समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को धन्यवाद देती है, जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया तथा मूल्यवान जानकारी दी। समिति प्रसार भारती, पीसीआई और एनबीए के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने तथा लिखित जानकारी/ विचार प्रस्तुत करने के लिए भी धन्यवाद देती है, जिससे समिति को जांच करने में अत्यंत मदद मिली।

5. समिति अपने संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा किए गए अमूल्य सहयोग के लिए उनकी भी सराहना करती है।

6. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अध्याय- दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
29 नवंबर, 2021
8 अग्रहायण, 1943 (शक)

डॉ. शशि थरूर,
सभापति,
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

एक. प्राक्कथन

नैतिकता मूल्यों की एक संहिता है, जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, और इस प्रकार यह नैतिक और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रेस के संदर्भ में, "नैतिकता" को नैतिक सिद्धांतों या मूल्यों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पत्रकारिता के लिए आचरण का मार्गदर्शन कराते हैं। नैतिकता जनता के विश्वास को बनाए रखने और उसे बढावा देने तथा स्वयं की विश्वसनीयता बरकरार रखने एवं लोगों के विश्वास को धोखा न देने के लिए पत्रकारों द्वारा स्वेच्छा से पालन किए जाने वाले आत्मसंयम हैं।

2. मीडिया के संबंध में, नैतिकता पत्रकारिता को व्यवसाय से पेशे में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी दुनिया में पत्रकारों के लिए आचार संहिता प्रस्तावित की गई है और पत्रकारिता का कार्य सत्य, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, निजता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता जैसी नैतिक अवधारणाओं के एक समुच्चय पर केंद्रित है। मीडिया की ये नैतिक अवधारणाएं विगत कई वर्षों में समाचार की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य के साथ विकसित और समेकित की गई हैं। इसे मानक कहा जाता है जिसे पत्रकारिता को प्राप्त करना चाहिए ताकि मीडिया समाज में अपना योगदान दे सके। इन अवधारणाओं का अनुप्रयोग तथ्यों की पड़ताल, सत्यापन, जांच, कठोर डेटा सोर्सिंग और विश्लेषण जैसे विषयों पर जोर देता है। इन मानकों को बरकरार रखे बिना समाचारों को आम वार्तालाप से अलग नहीं किया जा सकता। समाचार मीडिया या समाचार उद्योग उस जन-संप्रेषण माध्यम के रूप हैं जो आम जनता या लक्षित जनता के लिए समाचार प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इनमें प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट न्यूज और हाल ही में इंटरनेट शामिल हुए हैं।

3. 20.01.2020 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार पंजीयक (आरएनआई) के पास कुल 1,44,893 (एक लाख चवालीस हजार आठ सौ तिरानवे) समाचार-पत्र/पत्रिकाएं पंजीकृत थीं। अनुमति प्राप्त 926 सैटेलाइट चैनल थे जिनमें समाचार और समसामयिक विषय श्रेणी के तहत 387 चैनल और गैर समाचार और समसामयिक श्रेणी के तहत 539 चैनल थे। दूरदर्शन के 36 चैनल हैं जिनमें

2 न्यूज चैनल और 34 गैर-न्यूज़ चैनल हैं। आकाशवाणी के 495 एफएम रेडियो स्टेशन हैं। देश में 384 निजी एफएम रेडियो स्टेशन हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(एमईआईटीवाई) ने यह सूचित किया है कि कोई भी विश्व में कहीं से भी और किसी भी समय वेबसाइट खोल सकता है। सभी सार्वजनिक रूप से स्थापित वेबसाइटों को पूरे विश्व में देखा जाएगा, बशर्ते कि इन पर देश में प्रतिबंध न लगाया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय वेबसाइटों की संख्या का रिकॉर्ड नहीं रखता है। तथापि, एक लोकप्रिय साइट "Internetlivestats.com के अनुसार, इस समय 150 करोड़ से अधिक वेबसाइट हैं। आशा है कि पूरे विश्व में इनमें से लगभग 20 करोड़ चालू वेबसाइट है।

4. विषय के संबंध में साक्ष्य के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने बताया:

*"....*मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। हम समझते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यह सूचना के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह जनमत को भी आकार देता है। वास्तव में, मीडिया राज्य और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जैसा कि आपने कहा, संविधान के अंतर्गत मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और हमारा मानना हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता को हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए।..... जहां तक मीडिया में नैतिकता की बात है, मेरे पास उस व्याख्यान की प्रति है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्री जी एन रे द्वारा दिया गया था। उन्होंने मीडिया की नैतिकता पर एक व्याख्यान दिया था जिसमें वह मीडिया के महत्व के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कुछ कहा है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। वह कहते हैं, 'इतनी अधिक शक्ति और ताकत के साथ मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों से अपनी दृष्टि नहीं फेर सकता है।' वह यह भी कहते हैं, 'हालांकि, इन विशेषाधिकारों का आनंद लेने के लिए मीडिया को सूचना एकत्र करने और प्रसारित करने में समाचारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने, सूचना देने में वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संयम और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भाषा का उपयोग करने तथा रिपोर्टिंग में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने एवं समाज के साथ साथ व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर पडने वाले इसके व्यापक प्रभाव जैसी कुछ नैतिकताओं का अनुसरण करना अनिवार्य है।"

दो. प्रिंट मीडिया

(एक) प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों के पालन के लिए मौजूदा संहिताएं/अधिनियम/तंत्र

5. भारत सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने तथा समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों का रख-रखाव करने तथा उन्हें बढाने के लिए सांविधिक शक्तियों से संपन्न प्रेस परिषद की स्थापना के लिए प्रेस परिषद अधिनियम**, 1978** का अधिनियमन किया। भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को एक आचार संहिता के माध्यम से विशेष रूप से मीडिया के मानकों को बढावा देने का अधिदेश हैं। प्रिंट माध्यम के लिए नैतिक मानदंड यह सुनिश्चित करना है कि प्रेस द्वारा समाचार, विचार, टिप्पणी और सूचना को सार्वजनिक हित में उचित, सटीक, निष्पक्ष तथा शालीन तरीके से प्रसारित किया जाता है और समाज, व्यक्तियों तथा संबंधित संस्थान पर रिपोर्टिंग के बाद पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना है। दूसरा मानदंड जानकारी में आयी प्रायोजित न्यूज सामग्री और पत्रकारिता की खराब होती गुणवत्ता को नोट करना भी है।

6. भारतीय प्रेस परिषद का नेतृत्व एक चेयरमैन द्वारा किया जाता है जो परिपाटी के अनुसार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। परिषद में 28 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और मान्यता प्राप्त प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों द्वारा नामित किए जाते हैं और परिषद द्वारा अखिल भारतीय निकायों के प्रवर्गो जैसे संपादकों, श्रमजीवी पत्रकारों और समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मालिकों एवं प्रबंधकों के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं और 5 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से नामित किया जाता है और तीन सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधिक (कानून) क्षेत्रों में साहित्य अकादमी, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विधिज्ञ परिषद से नामित किये जाते हैं। सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए परिषद में कार्य करते हैं।

7. प्रिंट मीडिया में नैतिक मानदंडों को लागू करने के लिए मौजूदा उपबंधों की चर्चा करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के दायरे में कार्य करती है। उक्त अधिनियम की धारा 14 में परिषद को संबंधित समाचार-पत्र, न्यूज एजेंसी, संपादक या पत्रकार को चेतावनी देने, सावधान करने या उसकी निंदा करने या संपादक या पत्रकार के आचरण को गलत मानने का अधिकार है जब उसे ऐसा लगे कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता आचार के मानक या सार्वजनिक पसंद के विरुद्ध कार्य किया है या यह कि शिकायत प्राप्त होने के आधार पर या अन्यथा उसका यह मानना हो कि किसी संपादक या कार्यरत पत्रकार ने कोई भी पेशेवर कदाचार किया है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की

धारा 14 के तहत दायर शिकायतों पर प्रेस परिषद (जांच हेतु प्रक्रिया) विनियम 1979 के तहत कार्रवाई की जाती है। भारतीय प्रेस परिषद को परिषद की स्वतंत्रता से संबंधित तत्काल ध्यान देने वाले मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने और इसके उच्च मानकों को बनाए रखने का अधिकार भी प्राप्त है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में परिषद को इसके द्वारा दिए गए निर्णयों के माध्यम से आचरण संहिता तैयार करके भारत में प्रेस के मानको का संवर्धन करने का भी अनिवार्य दायित्व प्रेस परिषद को सौंपा गया है। भारतीय प्रेस परिषद ने "पत्रकारिता आचरण के मानदंड" तैयार किए हैं जिनका प्रिंट मीडिया दवारा पालन किया जाना अपेक्षित है।

8. आगे मंत्रालय ने यह बताया कि पीसीआई ने प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(1) के अंतर्गत समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए प्रिंट मीडिया पत्रकारिता में नैतिक मानकों को बनाए रखने और उनका अनुपालन करने और पत्रकारों को नैतिक सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए वृत्तिक अभ्यास करने के लिए 'पत्रकारीय आचरण मानक' तैयार किए हैं। 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' सिद्धांतों और नैतिकता के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत दिशानिर्देशों को कवर करते हैं। परिषद समय-समय पर इसके द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयनों के आधार पर नए मानदंडों को शामिल करते हुए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंडों' को लगातार अद्यतन करती है। पीसीआई द्वारा तैयार किए गए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' पीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट **http://presscouncil.nic.in/OldWebsite/NORMS-2010.pdf** पर उपलब्ध है।

9. साक्ष्य के दौरान पीसी के अध्यक्ष ने समिति को बताया कि:

"महोदय, जहां तक भारतीय प्रेस परिषद का प्रश्न है, यह दो प्रकार की शिकायतों को देखता है। पहला प्रकार प्रेस द्वारा और दूसरा प्रकार प्रेस के विरुद्ध शिकायतों का है। विशेष तौर पर पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का उल्लंघन बताते हुए हमारे पास प्रेस के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें आती हैं जिसमें कहा गया होता है कि कुछ भी प्रकाशित करने से पहले उस व्यक्ति को अवसर दिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध वे कुछ लिखने जा रहे हों। प्रेस के सदस्यों की कई शिकायतें आती हैं कि जब वे समाचार एकत्र करने गए, तो उन्हें अधिकारियों और उन सभी चीजों के माध्यम से धमकी दी गई थी। जब हमें शिकायत प्राप्त होती है, तो हम दूसरे पक्ष को सूचना

देते हैं। यह अर्ध-न्यायिक कार्यवाही होती है। दूसरा पक्ष अपना जवाब दाखिल करता है। परिषद में *28* सदस्य होते हैं। हमने दो जांच कमेटी गठित की हैं। इसे जांच कमेटी के सामने रखा जाता है। समिति पक्षकारों को सुनने के बाद निर्णय लेती है और निर्णय को अनुसमर्थन के लिए परिषद को भेजा जाता है, परिषद जिसका अनुसमर्थन कर या नहीं कर सकती है।"

10. प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों के पालन की निगरानी के लिए पीसीआई को सौंपी गई शक्तियां और इस संबंध में उनके सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं के संबंध में समिति के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में पीसीआई के अध्यक्ष ने बताया:

". ..... परिषद के पास अखबारों को नसीहत देने, सेंसर करने या चेतावनी देने की शक्ति है। हमने देखा है कि ऐसी खबरें या विज्ञापन जिन्हें हमने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया है, उन्हें अभी भी दोहराया जा रहा है और इसलिए हमें इससे उबरने में कठिनाई हो रही है। कई अखबारों का मानना है कि सेंसर का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। वे उसे दोहराते रहते हैं। भारत सरकार एक नीति लेकर आई है और नीति यह है कि यदि किसी समाचार पत्र को परिषद द्वारा सेंसर किया जाता है तो डीएवीपी निश्चित अवधि के लिए उस विशेष समाचार पत्र को विज्ञापन दिए जाने पर रोक लगाएगा। लेकिन हमारा अनुभव बताता है कि निर्णय लेने में काफी समय लगता है। हमने आज निर्णय लेते हैं तो डीएवीपी एक साल बाद फैसला करती है, इसलिए इसका असर नहीं होता। .... हमें लगता है कि वे महीनों और वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, और जब उनके पास एक साथ 30 या 40 मामले हो जाते हैं, तो वे एक साथ निर्णय करते हैं। मेरे हिसाब से इसका असर नहीं होता क्योंकि खबर आज आती है, हम तीन-चार महीने बाद उन्हें सेंसर करते हैं और डीएवीपी द्वारा अंतिम फैसला एक साल बाद आता है।"

11. इस संदर्भ में, पीसीआई ने एक लिखित उत्तर में बताया कि भारत सरकार पीसीआई के निर्णयों पर कार्रवाई करने और दोषी समाचार पत्रों पर पीसीआई के निर्णय को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को सरकारी विज्ञापन देने पर रोक लगाने के लिए आउटरीच और संचार ब्यूरो (बीओसी) हेतु एक निश्चित समयावधि निर्धारित कर सकती है।

12. समिति ने वांछित प्रभाव प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा विनियमों में समय-सीमा जोड़ते पीसीआई द्वारा बताई गई ऐसी प्रक्रियात्मक देरी से बचने के विषय पर मंत्रालय के विचार आमंत्रित किए। इस पर अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने 'भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति - 2016' जारी की है, जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को

पैनलबद्ध करने और सरकार के विज्ञापनो को जारी करने की प्रक्रिया का प्रावधान करती है। नीति का अनुच्छेद- 25 यह प्रावधान करता है कि किसी समाचार पत्र को पैनलबद्ध करने से निलंबित किया जा सकता है यदि उसे भारतीय प्रेस परिषद द्वारा अनैतिक प्रथाओं में लिप्त पाया जाता है। भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति -2016 को संशोधित किया गया है और इस समय भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति -2020 प्रभावी है। नीति का अनुच्छेद 17 (वी) विशेष रूप से प्रावधान करता है कि प्रकाशन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पीसीआई की विशिष्ट सिफारिश के अनुसार होगी।लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) पीसीआई की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करता है।

13. साक्ष्य के दौरान पीसीआई के अध्यक्ष ने परिषद के भीतर देश के अलग-अगल राज्यों के असंगत प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख किया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि:

> *"*जहां तक परिषद के गठन का संबंध है, उसे भी देखा जाना चाहिए। परिषद को ही संघों की पात्रता तय करनी है। अधिनियम की योजना के अनुसार संपादकों के संघों और श्रमजीवी पत्रकारों को परिषद द्वारा अधिसूचित किया जाता है। वे सभी संघ, जिनकी उपस्थिति कम से कम *12* से *15* राज्यों में है, मान्यता प्राप्त हैं। उस समय में ऐसा संघ जिसका *12* से *15* राज्यों के साथ जुड़ाव हो, हासिल करना बहुत कठिन था। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि विभिन्न राज्यों में बहुत से समाचार पत्र बेचे और पढ़े जाते हैं लेकिन हमारे पास उन राज्यों के सदस्य नहीं हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है।*"*

14. पीसीआई के अध्यक्ष ने आगे बताया कि:

> *"*पहली बात जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या मीडिया परिषद होनी चाहिए। जहां तक प्रेस परिषद का प्रश्न है, तो इसका संबंध केवल प्रिंट मीडिया और समाचार एजेंसियों से है। हाल के दिनों में करीब सात-आठ महीने पहले हमें प्रिंट मीडिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज चैनलों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। हमारा सुझाव यह है कि सभी समाचार चैनलों और सोशल मीडिया से संबंधित, भारतीय प्रेस परिषद की तरह का, एक सांविधिक निकाय होना चाहिए।*"*

15. इस संदर्भ में पीसीआई ने एक लिखित सूचना के माध्यम से बताया है कि परिषद ने 29.5.2019 की अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसका अर्थ है, "जब प्रिंट मीडिया के पास भारतीय प्रेस परिषद के रूप में एक प्रहरी है, परिषद की राय में, स्पष्ट रूप से कुछ इसके

बराबर सम्पूर्ण मीडिया जैसे कि समाचारपत्र, और प्रिंट या किसी अन्य रूप में पत्रिकाएं, ई-समाचारपत्र, न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया (टीवी चैनलों और रेडियो) के अलावा समाचार प्रचार प्रसार के अन्य प्लेटफॉर्म के लिए उचित है।" इसलिए, परिषद ने भारत सरकार से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की तरह पूर्वोक्त सभी मीडिया को शामिल करने के लिए एक ही कानून बनाए जाने की संस्तुतियां की ।

16. पीसीआई ने आगे बताया कि भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री पी.बी. सावंत ने वैयक्तिक स्तर पर मीडिया काउंसिल बिल का मसौदा अर्थात अधिनियम का मसौदा तैयार किया जिसका आधार वर्तमान प्रेस परिषद अधिनियम के प्रावधान पर है। न्यायमूर्ति सावंत ने 22.11.2000 को मसौदे को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अग्रेषित किया।

17. समिति द्वारा ऐसे एकल कानून बनाने, जिससे समूची मीडिया का प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अनुरूप संरेखण हो सके, के लिए पीसीआई की सिफारिश के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय/प्रस्तावित निर्णय के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करने पर मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि वह वर्तमान विनियामक परिदृश्य में परिवर्तन पर विचार कर रहा है। तदनुसार, यह प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधन के साथ आगे बढ़ गया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को कवर करते हुए संपूर्ण प्रसारण क्षेत्र के लिए सर्वसमाहित कानून रखने पर भी चर्चा चल रही है, जो जांच के अधीन है।

18. पीसीआई के पुनर्गठन के मुद्दे पर**,** सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:**-**

> "पीसीआई के पुनर्गठन के बारे में हमारे पास दो दृष्टिकोण *, xx.... xx... xx,* हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। अंत में*,* हम इसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और फिर आपको सूचित करेंगे। एक दृष्टिकोण यह है कि उन विभिन्न अधिनियमों में संशोधन किए जाएं*,* जो पुराने हो गए हैं। दूसरा*,* जैसा कि मैंने कहा*,* सिंगापुर और ऑस्ट्रिया मॉडल है। उन्होंने मीडिया काउंसिल बना दी है। उसमें सभी मीडिया को शामिल किया गया*,* चाहे वह प्रिंट हो या रेडियो अथवा डिजिटल हो। सब कुछ मीडिया काउंसिल के अंतर्गत आता है। इसलिए*,* दोनों दृष्टिकोणों के

संबंध में हम माननीय मंत्री और फिर मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन लेंगे कि हमें किस मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। चाहे हमें केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और प्रेस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करने के एक के बाद दूसरे कदम उठाते हुए चलना हो अथवा हमें मीडिया परिषद का एक अलग अधिनियम बनाना हो। एक मॉडल, जिसे मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं, हम जो सोच रहे हैं कि हर समाचार चैनल को संगठनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। चूंकि यह स्वैच्छिक है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता या निदेश दे सकता हूँ कि आपको श्री एक्स के नेतृत्व वाले एनबीएफ या श्री वाई के नेतृत्व में एनबीए का सदस्य होना चाहिए, लेकिन ऐसे प्रत्येक संगठन की न्यूनतम संख्या, जैसे 25, *30* या 50 होनी चाहिए ताकि वे इस तरह के पॉकेट संगठन न बनें कि मेरे पास एक चैनल है और मैं अपना संगठन बना लेता हूं।'

(दो) प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के न मानना

19. ऐसे समाचारपत्रों**,** जिनके विरुद्ध आचार मानकों का पालन न करने के कारण विगत पांच वर्षों में कार्रवाई की गई है**,** की संख्या के विषय में पूछे जाने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ऐसे समाचार-पत्रों की कुल संख्या 160 है जिनके विरुद्ध आचार मानकों का पालन न करने के कारण विगत पांच वर्षों में कार्रवाई की गई हैं। इसका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	समाचार पत्रों के विरुद्ध की गई कार्रवाई					
	निंदा	चेतावनी	भर्त्सना	फटकार	सतर्क करना	कुल
2015-16	18	3	2	0	2	25
2016-17	58	2	0	2	1	63
2017-18	20	1	0	0	0	21
2018-19	16	4	0	0	0	20
2019-20	30	1	0	0	0	31
कुल	**142**	**11**	**2**	**2**	**3**	**160**

20. आगे यह बताया गया कि कि पीसीआई ईमेल के माध्यम से या डाक द्वारा या अन्यथा प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को स्वीकार करता है और इन मामलों में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है । धारा 14 के तहत कुल 2016 मामलों (अर्थात प्रेस के विरूद्ध) और धारा 13 के तहत 356 मामलों (अर्थात प्रेस के द्वारा) को जनवरी, 2020 से लेकर अभी तक पीसीआई में पंजीकृत किया गया है।

21. समिति ने इच्छा व्यक्त की कि संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन **142** समाचार पत्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रस्तुत की जाए**,** जो पिछले **5** वर्षों के दौरान बंद कर दिए गए थे**,** जिस पर अपने उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि न्याय निर्णय के टैब के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद न्यायिक निर्णयों को अग्रेषित करता है जिसमें समाचार प्रत्रों को संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए सेंसर किया गया है। हालाँकि, पीसीआई के पास परिषद के अग्रेषित निर्णयों पर संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेशों द्वारा आगे की कार्रवाई से संबंधित जानकारी नहीं है।

22. समाचार पत्रों द्वारा पत्रकारिता के आचरण के मानकों के सख्त अनुपालन के लिए ऐसे मामलों की निगरानी की आवश्यकता पर पीसीआई द्वारा बताया गया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन बीओसी **'**भारत सरकार की प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति 2020**'** के अनुसार सरकारी विज्ञापन जारी करता है। नीति का अनुच्छेद **17 (**फ) विशेष रूप से प्रावधान करता है कि प्रकाशन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पीसीआई की विशिष्ट सिफारिश के अनुसार होगी। लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी) पीसीआई की सिफारिशों पर उचित कार्रवाई करता है। विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निंदा किए मामलों तथा बीओसी द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण इस प्रकार हैं:

बीओसी द्वारा वर्षवार निलंबन	**पीसीआई द्वार निंदा के कुल मामले**	**बीओसी द्वारा निलंबित**	**प्रकाशन जो बीओसी पोर्टल पर नहीं हैं (कार्रवाई नहीं की गई)**	**उच्च न्यायालय द्वारा स्टे की मंजूरी दी गई**
2016	5	5	0	0

2017	52	23	29	0
2020	48	45	2	1
कुल	**105**	**73**	**31**	**1**

23. जहां तक ई-समाचार पत्रों के लिए विनियामक ढांचे का संबंध है, मंत्रालय ने बताया है कि समाचार पत्र और समाचार पत्रों की प्रतिकृति ई-पत्र सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के बजाय प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 और उसके तहत बनाए गए पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अंतर्गत कवर होते हैं। तथापि, ऑनलाइन पेपर (अर्थात समाचार पत्रों के ई-पेपरों की प्रतिकृति नहीं) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम (2) के खंड (न) के अर्थ के भीतर कवर किए जाते हैं और आचार संहिता और उस नियम के अन्य प्रावधानों के ढांचे के तहत होते हैं। नियम (2) के खंड (न) का पाठ निम्नवत है::

> "नियम 2 - परिभाषाएं– (1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:
> (न) '"समाचार और करंट अफेयर अंतर्वस्तु का प्रकाशक" से किसी ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, समाचार एग्रीगेटर, समाचार अभिकरण और ऐसा कोई अन्य अस्तित्व अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो कार्य करने के स्वरूप में समाचार और करंट अफेयर्स अंतर्वस्तु के प्रकाशक के अनुरूप हों किंतु इसके अंतर्गत समाचार पत्र, समाचार पत्रों के ई पत्रों की अनुकृति और कोई व्यष्टिक या उपयोक्ता सम्मिलित नहीं होगा जो क्रमबद्ध कारबार व्यवसायिक या वाणिज्य कार्यकलाप के प्रक्रम में अंतर्वस्तु का पारेषण नहीं करता है;"

तीन. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

क. टेलीविजन चैनल

(एक) टीवी चैनलों में नैतिक मानकों को बनाए रखने हेतु मौजूदा संहिता/अधिनियम/तंत्र

24. समिति को बताया गया है कि मौजूदा विनियामक ढांचे के अनुसार, निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों का प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम

1995 (सीटीएन अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता **(अनुबंध - एक)** के संदर्भ में विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम में इन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों और विज्ञापनों के लिए पूर्व-सेंसरशिप का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन सभी चैनलों को उक्त कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना आवश्यक है, जिसमें टीवी चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए कई प्रकार के पैरामीटर है। इस प्रकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यक्रमों और विज्ञापनों के संबंध में टीवी चैनलों द्वारा दी जाने वाली सामग्री को विनियमित करने के लिए सीटीएन अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के माध्यम से सांविधिक अधिदेश है।

25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए निम्नवत जानकारी दी है:-

> "केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं निहित हैं जिनमें टेलीविजन पर सामग्री का प्रसारण करते समय अपनाए जाने वाले व्यापक ढांचे का प्रावधान है।
>
> केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा 5 के तहत, यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी केबल सेवा के माध्यम से किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण या पुनर्प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि वह कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप न हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा 6 के तहत, यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी केबल सेवा के माध्यम से किसी भी विज्ञापन का प्रसारण या पुनर्प्रसारण नहीं करेगा जब तक कि वह विज्ञापन निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हों।
>
> केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा 19 में यह उपबंध है कि जहाँ किसी भी प्राधिकृत अधिकारी का यह मानना हो कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश दवारा किसी भी केबल ऑपरेटर को तब कोई भी कार्यक्रम प्रसारित या पुनर्प्रसारित करने से रोक सकता है जब वह धारा 5 में उल्लिखित निर्धारित कार्यक्रम संहिता और धारा 6 में उल्लिखित विज्ञापन संहिता के अनुरूप न हों, या जिससे धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धार्मिक,नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य

या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा मिलने की संभावना हो या जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो।

इसके अलावा केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम की धारा 20 के तहत यह उपबंध किया गया है कि जहां केंद्र सरकार का यह मानना हो कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों, जो वह इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, में किसी भी केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रचालन को रोक सकती है।

उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) में यह उपबंध है कि जहां केंद्र सरकार (एक) भारत की संप्रभुता या अखंडता, या (दो) भारत की सुरक्षा, या (तीन) किसी भी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रिपूर्ण संबंधों, (चार) सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे। आदेश द्वारा किसी भी चैनल या कार्यक्रम के प्रसारण या पुनर्प्रसारण को विनियमित कर सकती है या इसे रोक सकती है।

धारा 20 की उप-धारा (3) में यह उपबंध है कि जहां केंद्र सरकार का यह मानना हो कि किसी भी चैनल का कोई भी कार्यक्रम धारा 5 में उल्लिखित निर्धारित कार्यक्रम संहिता या धारा 6 में उल्लिखित निर्धारित विज्ञापन संहिता के अनुरूप नहीं है, आदेश द्वारा ऐसे कार्यक्रम का प्रसारण या पुनर्प्रसारण विनियमित कर सकती है या उसे रोक सकती है।"

26. इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 में तैयार किए हैं जिनके तहत निजी टीवी चैनलों को भारत में अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा यह अपेक्षित है कि ये चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करें। इन दिशानिर्देशों में इनके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होने की स्थिति में दंड की मात्रा भी निर्धारित है। 06.11.2007 तक यथा संशोधित, डीटीएच दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार *"लाइसेंसधारक सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता (पीसी) और विज्ञापन संहिता (एसी) का पालन सुनिश्चित करेगा।"* इसके अलावा जब चैनल को अपलिंकिंग/डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार भारत से या भारत में किसी चैनल विशेष को अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें हर समय कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करने की वचन-पत्र प्रस्तुत करना होता है। संहिता/दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में, मंत्रालय केबल अधिनियम की धारा

20 द्वारा प्रदत शक्तियों और अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के संदर्भ में डिफ़ॉल्ट करने वाले चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को केबल टीवी चैनलों पर सामग्री के प्रसारण को विनियमित करने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं।

27. मंत्रालय ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट शिकायतों का स्वतः संज्ञान लेने अथवा जाँच करने के लिए अपर सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया है और इसमें गृह, रक्षा, विदेश, कानून, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपभोक्ता मामले, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से चुने गए अधिकारी और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) में उद्योग से संबंधित एक प्रतिनिधि शामिल है। आईएमसी इस संबंध में एक सिफारिशकर्ता की क्षमता में कार्य करता है। शास्ति और उसके प्रकार के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा आईएमसी की सिफारिशों के आधार पर लिया जाता है जो गंभीर मामलों में चैनल को चेतावनी या एडवायजरी जारी करने से लेकर चैनल बंद करने तक हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिगं सेन्टर (ईएमएमसी) की स्थापना सरकार द्वारा एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में की गई है, जिसमें सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाता है। ईएमएमसी में 900 चैनल रिकॉर्ड करने की तकनीकी सुविधा है।

28. शिकायत दर्ज करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में पूछे गए एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, टीवी पर प्रसारित सामग्री के बारे में ईएमएमसी या आम जनता द्वारा सूचित या मंत्रालय द्वारा स्वतः संज्ञान में लिए गए मामलों की शिकायत प्राप्त होने के बाद, उस चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। आमतौर पर टीवी चैनल से प्राप्त उत्तर के साथ इस मामले को आईएमसी के समक्ष रखा जाता है। टीवी चैनल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाता है जिसमें चैनल का प्रतिनिधि आईएमसी के समक्ष प्रस्तुत होता है। मामले की जांच करने के बाद, आईएमसी चैनल के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में अपनी सिफारिशें देती है। ये सिफारिशें, उल्लंघन सिद्ध न होने की स्थिति में मामले को बंद करने या उल्लंघन पाए जाने की स्थिति में टीवी चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में होती हैं। सिफारिश की गई कार्रवाई में चेतावनी और एडवाइजरी जारी करना, चैनल को अपने कार्यक्रम में क्षमा याचना स्क्रॉल चलाने के लिए कहना और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर

चैनल को विभिन्न अवधियों के लिए अस्थायी रूप से अपना प्रसारण बंद करने के लिए निदेश देना शामिल है। मंत्रालय टीवी चैनल के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लेता है।

29. समिति ने यह पूछा कि किसी चैनल के बार-बार एक ही आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामलों से मंत्रालय कैसे निपटता है,इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि आईएमसी, किसी विशेष चैनल दवारा कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघनों के मामलों पर विचार करते समय, अन्य बातों के अलावा उस चैनल द्वारा कार्यक्रम संहिता के पूर्व के उल्लंघनों को ध्यान में रखता है और मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिश करता है।

30. कतिपय दोषपूर्ण बातों को जानने के पश्चात स्तरबद्ध चेतावनी प्रणाली और स्वत: निलंबन प्रणाली की व्यवस्था करने के समिति द्वारा दिए गए सुझाव के संबंध में मंत्रालय ने बताया कि श्रेणीकृत दंडों का प्रावधान पहले ही प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों संबंधी अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत विद्यमान है। निर्धारित दंड इस प्रकार है:

(एक) पहली बार उल्लंघन के मामले में 30 दिन की अवधि तक कंपनी की अनुमति को निलंबित करना और प्रसारण/संचारण को रोकना।

(दो) दूसरे उल्लंघन के मामले में कंपनी की अनुमति का निलंबन और अनुमति की 90 दिन की अवधि तक प्रसारण पर रोक।

(तीन) तीसरी बार उल्लंघन के मामले में कंपनी की अनुमति को निरस्त करना और अनुमति की शेष अवधि तक प्रसारण पर रोक।

(चार) अनुमति धारक द्वारा निर्धारित समय के भीतर लगाए गए दंड का पालन न करने पर अनुमति को निरस्त करना और अनुमति की शेष अवधि तक प्रसारण पर रोक तथा भविष्य में पांच वर्षो तक कोई भी नई अनुमति प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित करना।

31. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नैतिक मानकों का पालन करने के लिए मौजूदा नियामक तंत्र की पर्याप्तता के बारे में मंत्रालय ने कहा है कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी और रेडियो) के क्षेत्र में वर्तमान नियामक तंत्र ने संविधान के तहत प्रेस की गारंटीशुदा स्वतंत्रता के अंतर्निहित सिद्धांतों का पालन करते हुए काफी हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। हालांकि,

नियामकीय वातावरण में कतिपय बदलाव करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दिशा में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस संबंध में, साक्ष्यों के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत बताया:-

"केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, पहले ही 25 साल पुराना है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। मैं प्रस्तावित परिवर्तनों पर आता हूं। तीन धाराएं अर्थात् धारा 5, धारा 19 और धारा 20 तीन धाराएं हैं जो सरकार को शक्तियां प्रदान करते हैं कि कतिपय स्थितियों में चैनल के प्रसारण को विनियमित या निषिद्ध भी किया जा सकता है। अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग दिशानिर्देश भी हैं। चैनल लाइसेंसिंग एक हिस्सा है और उसके बाद अप-लिंकिंग और डाउन-लिंकिंग दिशा-निर्देश हैं, जो कि दूसरा हिस्सा है, ये सरकार के पास है। टीवी, रेडियो और प्रेस के नियमन से पूर्व यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रेस परिषद एक सांविधिक निकाय है और प्रिंट मीडिया के लिए अस्तित्व में है लेकिन टेलीविजन के लिए ऐसा कोई सांविधिक निकाय नहीं है। जबकि एनबीएसए और एनबीए ने एक तंत्र विकसित किया है, सरकार द्वारा औपचारिक रूप से इसे मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे कई चैनल हैं जो एनबीए के सदस्य नहीं हैं। अन्य संघ भी हैं। यदि हम व्यापक अंतर देखें तो प्रिंट मीडिया हेतु भारतीय प्रेस परिषद जैसी सांविधिक परिषद है। टेलीविजन नेटवर्क हेतु ऐसा कोई तंत्र नहीं है लेकिन सामान्यत: हम सभी शिकायतों को एनबीएसए को भेजते हैं। हम उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं और टिप्पणियां लेते हैं और एक अंतर-मंत्रालयी समिति है जो उसके आधार पर, कार्यकारी आदेश के माध्यम से कार्रवाई करती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम में संशोधन करते समय, हम यह प्रावधान कर रहे हैं कि यह एक कार्यकारी आदेश के बजाय नियम के अनुसार होना चाहिए और उसके आधार पर सरकार कार्रवाई कर सकती है।"

32. जहां तक केबल टीवी नेटवर्क (सीटीएन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्रगति का संबंध है, मंत्रालय ने बताया है कि केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम,1995 में प्रस्तावित संशोधनों को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 15.01.2020 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। मंत्रालय में हितधारकों/आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

33. समिति ने पाया है कि 6 मार्च, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दो मलयालम टीवी समाचार चैनलों 'एशियानेट न्यूज़' और 'मीडिया वन' के विरुद्ध कतिपय निषेधात्मक आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, 24 घंटे से भी कम समय में प्रतिबंध हटा लिया गया था।

34. उपरोक्त टीवी चैनलों के निलंबन और निर्धारित अवधि से पहले प्रतिबंध हटाए जाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने बताया कि ईएमएमसी केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के पालन के संबंध में टीवी पर प्रसारित कार्यक्रमों की निगरानी करता है। 25.02.2020 को एडवाइजरी जारी करने के बाद, 26.02.2020 को ईएमएमसी ने विभिन्न टीवी समाचार चैनलों द्वारा दिल्ली में हिंसा की कवरेज पर मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। 'एशियानेट न्यूज' और 'मीडिया वन' के संदर्भ में, ईएमएमसी ने बताया कि इन दोनों चैनलों ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट को इस तरह से चलाया, जो निर्धारित संहिता अर्थात केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 6(1)(ग) और 6(1)(ङ) का उल्लंघन था जिनका सार निम्नानुसार है:-

> ***नियम 6(1)(ग) -*** *केबल सेवा में कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाया जाना चाहिए जिसमें धर्मों या समुदायों पर हमला या धार्मिक समूहों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृश्य या शब्द शामिल हों या जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं; तथा*
>
> ***नियम 6(1)(ङ) -*** *कोई भी कार्यक्रम केबल सेवा में नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसके हिंसा को प्रोत्साहित करने या उकसाने की संभावना है या कानून और व्यवस्था के रखरखाव के खिलाफ कुछ भी शामिल है या जो राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।*

35. इसके अलावा, ईएमएमसी रिपोर्ट के आधार पर, 28.02.2020 को दो चैनलों को इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि रिपोर्ट का प्रसारण प्रथम दृष्टया कार्यक्रम संहिताओं का उल्लंघन था। चैनलों ने अपने उत्तर 03.03.2020 को प्रस्तुत किए। एशियानेट न्यूज चैनल ने किसी भी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन करने से इनकार किया और कहा कि इसने जानबूझकर हिंसा भड़काने या कानून-व्यवस्था को खतरे में डालने वाली कोई भी खबर नहीं चलाई है। मीडिया वन चैनल ने अपने उत्तर में कहा कि चैनल की ओर हिंसा नहीं भड़काई गई और इसकी रिपोर्ट इस मुद्दे पर अन्य रिपोर्टों जैसी ही थी।

36. मंत्रालय ने आगे बताया कि ईएमएमसी की रिपोर्ट, दो चैनलों दवारा प्रसारित की गई समाचारों की प्रतिलिपि, और उनके दवारा अग्रेषित उत्तरों की जांच सीटीएन अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नियमों के आलोक में की गई। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, यह देखा गया कि चैनलों ने कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया था और तदनुसार उन्हें दिनांक 06.03.2020 को इस दिन शाम सात बजे से 48 घंटे के लिए अपने प्रसारण बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था।

37. 48 घंटे की निर्धारित अवधि से पहले टीवी चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लेने के लिए माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री के निर्णय की ओर मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए समिति ने यह जानना चाहा कि क्या दोनों चैनलों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय लेने से पहले मंत्री जी से परामर्श किया गया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया कि प्रसारण बंद करने के आदेश के बाद एक चैनल - एशियानेट न्यूज ने 06.03.2020 को बिना शर्त माफी मांगी और प्रसारण को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। एशियानेट न्यूज की माफी को ध्यान में रखते हुए, सक्षम अधिकारी ने ऑफ-एयर पेनल्टी को कम कर दिया और चैनल को 07.03.2020 को सुबह 01:30 बजे से प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई। दो चैनलों दवारा किए गए समान उल्लंघनों के लिए आनुपातिक दंड को ध्यान में रखते हुए, दूसरे चैनल (मीडिया वन) से प्रसारण भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 07.03.2020 को सुबह 09:30 बजे से फिर से शुरू हो गया।

38. तत्पश्चात, समिति ने इस विशेष मामले में सक्षम अधिकारी के बारे में पूछा। साक्ष्य के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने निम्नवत बताया:-

> "*महोदय, अब मैं दो चैनलों अर्थात एशियानेट और मीडिया वन के ब्यौरे पर आता हूं। वास्तव में, चेतावनी के सभी आदेश सचिव स्तर पर जारी किए जाते हैं, और मंत्री जी के अनुमोदन से ऑफ-एयर आदेश जारी किए जाते हैं। इसलिए, ये आदेश माननीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए थे।*"

39. जहां तक केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमवाली, 1994 के नियम 6(1)(ङ) के तहत 'राष्ट्र विरोधी रवैया' शब्द का संबंध है, समिति ने पूछा कि क्या इस शब्द को निजी उपग्रह टीवी चैनल या किसी अन्य कानून/संहिता/परिपत्र के लिए निर्धारित मौजूदा कार्यक्रम संहिता में परिभाषित किया

गया है। मंत्रालय ने उत्तर दिया है कि 'राष्ट्र विरोधी रवैया' शब्द को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमवाली, 1994 में उल्लिखित कार्यक्रम संहिता में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है।

40. समिति ने निजी चैनलों के अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए स्पष्ट तरीके से "राष्ट्र विरोधी रवैये" शब्द शब्द के विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके उत्तर में, विरोधी रवैये' शब्द के विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके उत्तर में मंत्रालय ने लिखित उत्तर में बताया कि जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, "राष्ट्र विरोधी" का तात्पर्य "राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रवाद का विरोध है।"

41. दूरदर्शन और आकाशवाणी चैनलों द्वारा नैतिक मानकों को देखने के लिए मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्तता के बारे में प्रसार भारती ने बताया है कि प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के खंड 12 में निर्धारित प्रावधानों का संबंध कृत्यों और शक्तियों से हैं और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा समाचार रिपोर्टिंग में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं। उनके अनुसार, नियंत्रण और संतुलन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मध्य स्व-विनियमन को उनके प्रसारण में नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तथापि, स्व-नियमन प्रभावी होने के लिए उद्योग के भीतर स्व-नियमन के ढांचे और उस ढांचे की अखंडता का सम्मान करने के लिए पूरे उद्योग में प्रतिबद्धता पर आम सहमति बनाने की जरूरत है। नियामक तंत्र को फर्जी खबरों की जांच करने और निकट वास्तविक समय में हस्तक्षेप करने में सक्षम होने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाए जाने वाले समाचारों हेतु नैतिकता का एक निकाय बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रारंभिक वर्षों के दौरान ये नैतिकता बैठ जाए।

(दो) टीवी चैनलों द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन न करने के मामले

42. समिति ने आगे विगत 5 वर्षों के दौरान ईएमएमसी, आम जनता और मंत्रालय द्वारा स्वत: संज्ञान के आधार पर कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए सूचित की गई शिकायतों की संख्या के बारे में पूछा। ब्यौरा निम्नवत दिया गया है:-

शिकायतें	वर्ष				
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
ईएमएमसी	16	16	3	0	87
आम जनता (वीआईपी संदर्भ सहित)/गैर-सरकारी संगठन	6	3	3	3	15
एमआईबी और अन्य मंत्रालयों द्वारा स्वत: संज्ञान	4	4	4	2	11
की गई कार्रवाई	एडवाइजरी/ चेतावनी/ क्षमा स्क्रॉल/ ऑफ-एयर	एडवाइजरी/ चेतावनी/ ऑफ-एयर	एडवाइजरी/ ऑफ-एयर	एडवाइजरी / ऑफ-एयर	एडवाइजरी/ चेतावनी/ क्षमा स्क्रॉल/ ऑफ-एयर

43. वर्ष 2019 के दौरान ऐसे 15 ऐसे मामले थे जहाँ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई आई एम सी की सिफारिशों से अलग थे, संबंधित मामलों के ब्यौरे का अवलोकन करते हुए समिति इसके कारणों के बारे में जानना चाहती है। इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया है कि आईएमसी की आवधिक बैठकें होती हैं और यह निजी टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम की संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई की सिफारिश करती है। आईएमसी सिफारिशी हैसियत के अनुरूप कार्य करती है। दंड और उसकी मात्रा के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा आईएमसी की सिफारिशों और मामले के गुण-दोष के आधार पर लिया जाता है। तदनुसार, उक्त 15 मामलों के सभी तथ्यों और परिस्थितियों एवं आईएमसी सिफारिशों के संबंध में, मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने चैनलों पर जुर्माना लगाने और इसकी मात्रा निर्धारित करने का निर्णय लिया।

44. मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों का गैर- अनुपालन के कारण पिछले पाँच वर्षों में दंडित किये गए टीवी चैनलों के बारे में पूछे जाने पर ब्यौरा निम्नवत दिया गया-

वर्ष	परामर्श	चेतावनी	क्षमा स्क्रॉल चलाने का क्रम	ऑफ एयर	कुल
2015	1	9	3	7	20
2016	9	4	0	3	16
2017	1	0	0	2	3
2018	0	0	0	1	1
2019	29	39	30	3	101
2020	40	52	33	16	141

45. वर्ष 2017-18 और 2018-19, के दौरान शिकायतों की संख्या क्रमशः 3 और 1 थी जो 2019-20 में अचानक बढ़कर 101 हो गई। इसके कारणों के बारे में समिति ने जानना चाहा। उत्तर में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2017 और 2018 के दौरान अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की चार (4) बैठकें आयोजित की गई, जिसमें पैतीस (35) मामलों पर विचार किया गया तथपि, वर्ष 2019 के दौरान आईएमसी की पांच (5) बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमसी द्वारा पहले के वर्षों के मामलों सहित 122 मामलों पर विचार किया गया।

46. मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों के उल्लंघन के संबंध में प्रसार भारती के सामने आए मामलों, यदि कोई है, के बारे में पूछे जाने पर प्रसार भारती ने बताया है कि आकशवाणी और दूरदर्शन द्वारा मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है। तथापि, कतिपय अवसरों पर सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से जानकारी मांगी गई है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा डी डी/आकशवाणी समाचार कवरेज के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी मांगी गई है। प्रसार भारती ने ऐसी सूचना प्रदान करना सुगम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

47. इस संबंध में प्रसार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया है-

> "प्रसार भारती सांविधिक स्वायत्तशासी सार्वजनिक प्रसारक है और हमारा अधिदेश प्रसार भारतीय अधिनियम द्वारा पूर्णतः परिभाषित है। उप-धारा 12 में उल्लेख है कि सार्वजनिक

प्रसारक को क्या करना है और हम इसके द्वारा शासित होते हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पास कई दशकों से कारपोरेट के रूप में पुराना प्रसार भारती है, उनके पास पहले ही विद्यमान कार्यक्रम संहिता और व्यावसायिक संहिता था और जहाँ तक समाचार और सामान्य कार्यक्रम की बात है, अभी तक वे इनका कड़ाई से अनुपालन कर रहे हैं। इसके अलावा, डीडी में दृश्य कारकों के कारण टेलीविजन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। हालांकि, एआईआर कोड बहुत पुराना और बहुत व्यापक है फिर भी यह पूरे संगठन में एक सामान्य निर्देशक सिद्धांत रहा है। सामान्यतः अभी तक आचार से संबंधित शिकायतों के बहुत से मामले हमारे पास नहीं आए हैं क्योंकि बहुत से समाचार प्रचालक सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित होते हैं जिन्हें अनुशासनिक नियमों आदि के लिए जिम्मेदार माना जाता है। कुल मिलाकर रिपोर्टिंग न्यायालय के आदेशों के अनुरूप होती है। कुछ छुटपुट उदाहरण सामने आए हैं जहां कवरेज का प्रश्न उठाया गया है। ऐतिहासिक रूप से इन शिकायतों का निवारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशकों द्वारा किया गया था। ऐसा कम होता है कि प्रसार भारती सचिवालय या बोर्ड संपादकीय मामलों में शामिल होता हो। पिछले वर्ष जब आम चुनाव हो रहे थे, तब कुछ प्रश्न उठे थे कि विभिन्न राजनीतिक दलों के समाचार को कितना कवरेज दिया गया और निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश दिए गए थे। कभी-कभी हमने सभी पार्टियों को कवरेज को देखने और डाटा साझा करने के लिए आंतरिक समीक्षा बैठक का गठन किया था। अतः ऐसा पहली बार था जब हमने वास्तव में एक प्रकार की आंतरिक समीक्षा की थी जो निदेशालयों के नियंत्रण से परे थी। इसके पश्चात, हमने महसूस किया कि भविष्य में यदि कोई मामला आता है तब हम इस समिति को बनाए रखेंगे। अतः समिति के पास कोई बड़ी शिकायत आती है, तब आवश्यकता के आधार पर वह कार्य करती है किंतु ऐसा कार्यकरण पूर्णतः संहिता के अनुरूप होती है और संहिता सामान्यतः समुचित पाई गई है। चूंकि ये संहिताएं प्रसार भारती से पहले बनाई गई थी इसलिए हमने महसूस किया कि कुछ पहलुओं को अधिनियम के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। हम यह प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ताकि संहिताओं को अधिनियम के भावों के अनुरूप संगत बनाया जा सके।

ख. प्रसारण उद्योग द्वारा टीवी चैनलों में स्व-विनियमन

48. उपर्युक्त विनियामक ढांचे के अलावा सरकार ने प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्व-विनियमन को बढ़ावा दिया है। टीवी चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण से

संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए औद्योगिक निकाय द्वारा निम्नलिखित स्व-नियामक तंत्र स्थापित किया गया है-

न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन (एनबीए)/न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैण्डर्ड ऑथोरिटी(एनबीएसए)

एनबीए 2007 में स्थापित लाभ-रहित कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 (पहले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत) की धारा 8 के तहत विधिवत पंजीकृत है और भारत में विशेष रूप से 24x7 टेलीविजन समाचार प्रसारकों का एक संघ है। एनबीए में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निजी टेलीविजन समाचार तया समसामयिकी के प्रसारणकर्ता शामिल हैं जो इसके सदस्य हैं।

एनबीएसए 2008 में एनबीए द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र और स्व-विनियामक निकाय है जिसे आचार मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और इसके द्वारा जारी किए गए विभिन्न दिशानिर्देशों और एनबीए के सदस्यों के संबंध में एक तटस्थ और स्वतंत्र सहायक निकाय या टीवी चैनलों पर प्रसारित कोई समाचार या सम सामयिकी से संबंधित प्रसारकों के रूप में कार्य करना है।

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट्स कम्प्लेंट्स कौंसिल (बीसीसीसी)

भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) एक लाभ-रहित उदयोग संघ है और 27 सितंबर, 1999 को निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। इसे गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, दिल्ली में पंजीकृत है। यह भारत में और भारत से टेलीविजन प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) जून 2011 में आईबीएफ द्वारा गठित स्वतंत्र और स्वायत स्व-नियामक निकाय है, जो सामग्री संबंधी शिकायतों और गैर-समाचार और समसामयिकी के टीवी चैनलों से निपटने का कार्य करती है।

एडवरटाइजिंग स्टैण्डर्ड कौंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई)/कंज़्यूमर कम्प्लेंट्स कॉउन्सिल (सीसीसी) - भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), 1985 में स्थापित, भारत में विज्ञापन उदयोग का एक गैर-सरकारी, स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन है। यह सुनिश्चित करना चाहता है कि विज्ञापन स्व-नियमन के लिए संहिता के अनुरूप हो, जिसके लिए प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए विज्ञापनों को कानूनी, सभ्य, ईमानदार और सच्चा होना चाहिए खतरनाक या हानिकारक नहीं। एएससीआई सभी मीडिया जैसे कि प्रिंट,

टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, एसएमएस, ई-मेल पर इंटरनेट/वेब-साइट, उत्पाद पैकेजिंग, ब्रोशर, प्रचार सामग्री और बिक्री सामग्री के बिंदु आदि की शिकायतों पर गौर करता है ।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) ने अपने पहले वर्ष 1985-86 में विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद का गठन किया। सीसीसी एएससीआई बोर्ड से अलग एक स्वतंत्र निकाय है। 28 सदस्यीय पैनल में सीसीसी समूह के 14 सदस्यों वाले दो समूह हैं। प्रत्येक सीसीसी में 8 सदस्य सिविल सोसाइटी से हैं जो अपने-अपने तंत्र यथा शिक्षा, पत्रकारिता, उपभोक्ता कार्यकर्ता चिकित्सक, अधिवक्ता, आयुर्वेद, होम्योपैथी क्षेत्रों जाने माने विशेषज्ञ हैं और 6 अन्य लोग हैं जो एएससी आई सदस्य कंपनियों के विज्ञापन प्रैक्टिसनर हैं।

49. मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों के उल्लंघन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्वनियामक निकायों द्वारा इसके गठन के समय रिपोर्ट की गई शिकायतों के निवारण लिए तंत्र का व्यौरा निम्नलिखित है-

<u>न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोशिएशन (एनबीए):</u> शिकायतों के निवारण के लिए, एनबीए दो स्तरीय तंत्र है। स्तर-एक में वे शिकायतें है जिसमें प्रसारणकर्ता के स्तर पर शिकायतें प्राप्त की जाती हैं और उनका निपटान किया जाता है। एनबीए ने सूचित किया है कि 2007 से स्तर-1 पर 1010 मामलों का निपटान किया गया है। स्तर-II 2008 में स्थापित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) है जिसमें एक अध्यक्ष (जो एक प्रतिष्ठित कानूनविद होता है) और विभिन्न क्षेत्रों से आठ सदस्य होते हैं। एनबीएसए ने आज तक आम जनता से प्राप्त 1763 मामलों का निपटान किया है। इसके अलावा, इसने भारत का निर्वाचन आयोग से प्राप्त 28 शिकायतों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त 657 शिकायतों का निपटान किया है।

<u>भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ):</u> बीसीसीसी का एक अध्यक्ष (जो माननीय उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है) तथा विभिन्न क्षेत्रों से 13 अन्य सदस्य हैं। स्व-विनियमन का पालन सुनिश्चित करने के लिए आईबीएफ के सदस्य चैनलों द्वारा दो स्तरीय तंत्र अपनाया गया है। पहले स्तर में, प्रसारणकर्ता शिकायतें प्राप्त करता है जबकि दूसरे स्तर पर बीसीसीसी द्वारा शिकायतों की जांच की जाती है। बीसीसीसी ने सूचित किया है कि जून, 2011 में इसकी स्थापना के बाद से जनवरी, 2020 तक कुल 74407 शिकायतों में से 18801 शिकायतें वैध पाई गई हैं।

एडवरटाइजिंग स्टैण्डर्ड कौंसिल ऑफ इंडिया (एएचसीआई)

सीसीसी के पास विज्ञापन से संबंधित शिकायतों पर की गई कार्रवाई के माध्यम से 10 वर्षों में संचित व्यापक ज्ञज्ञन होता है। स्वतंत्र उपभोक्ता शिकायत परिषद् एससीआई के जांच निकाय के रुप में कार्य करता है जो की गई शिकायतों के साथ-साथ विज्ञापनदाताओं की प्रतिक्रिया पर विचार करता है, चाहे ऐसा विज्ञापनदाता एएससीआई का सदस्य है या नहीं, कि क्या संबंधित विज्ञापन संहितो के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

विज्ञापन संहिता के नियम 7 (9) में यह प्रावधान है कि "कोई भी विज्ञापन जो विज्ञापन में स्व-नियमन के लिए संहिता का उल्लंघन करता है, जोकि भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए समय-समय पर विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई), मुंबई द्वारा अपनायी जाती है, केबल सेवा में नहीं दिखाया जाएगा।"

50. पिछले 5 वर्ष के दौरान एनबीए द्वारा टियर-एक और टियर-दो में कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की संख्या और एनबीए द्वारा निर्णित कार्रवाई के बारे में मंत्रालय ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है-

वर्ष	**प्रथम अर्थात प्रसारक (टियर एक) के स्तर पर निस्तारित शिकायतें**	**द्वितीय अर्थात एनबीएसए (टियर-दो) के स्तर पर निस्तारित शिकायतें**
2015	76	53
2016	76	39
2017	169	21
2018	279	46
2019	251	38
कुल	851	197

51. पिछले पांच वर्षों के दौरान आईबीएफ द्वारा टियर-एक और टियर-दो के स्तर पर कार्यक्रम संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों की संख्या और आईबीएफ द्वारा निर्णय ली गई कार्रवाई पर मंत्रालय ने निम्नवत सूचना प्रस्तुत की है:

क्र.सं.	बीसीसीसी द्वारा की गई कार्रवाई	2015	2016	2017	2018	2019
1.	ऐसे मामले जहां चैनल को वित्तीय दंड + क्षमा स्क्रॉल लगाया गया था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
2.	ऐसे मामले जहां चैनलों को क्षमा स्क्रॉल चलाने के लिए कहा गया था	6	1	शून्य	शून्य	2
3.	ऐसे मामले जहां चैनलों को बीसीसीसी को आश्वासन पत्र/माफीनामा भेजने के लिए कहा गया था।	8	14	4	4	5
4.	ऐसे मामले जहां चैनलों को एपिसोड/प्रोमो नहीं दोहराने के लिए कहा गया था	5	4	4	5	7
5.	मामले जहां चैनलों को कार्यक्रम/प्रोमो को वाटरशेड घंटे में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था	2	2	1	2	शून्य
6.	ऐसे मामले जहां चैनलों को एपिसोड को वाटरशेड घंटे में स्थानांतरित करने के लिए कहा गया था	शून्य	1	शून्य	1	1
7.	ऐसे मामले जहां चैनल को सामग्री को संशोधित/संपादित करने के लिए कहा गया था	17	13	15	17	15
8.	ऐसे मामले जहां चैनलों को सलाह/सचेत/चेतावनी दी गई	61	77	75	104	90
9.	जारी किए गए एडवाइजरी की संख्या	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य

52. एएससीआई/सीसीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन तथा उसके अनुपालन से संबंधित मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	विज्ञापनों की कुल संख्या	औसत अनुपालन दर	टीवी अनुपालन दर
2017-2018	2 , 641	92%	100%
2018-2019	2 , 898	94%	100%
2019-2020	3 , 773	98%	99.9%

53. समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या स्वनियामक निकायों द्वारा, विशेष रूप से टीवी चैनलों द्वारा मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंडों के पालन के लिए, बनाए गए नियम और दिशानिर्देश एक श्रेणी के अंतर्गत सभी टीवी चैनलों पर लागू होते हैं। उत्तर में, एनबीए ने बताया है कि एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता, दिशानिर्देश और एडवाइजरी, सदस्य प्रसारकों के सभी चैनलों पर लागू होते हैं। एनबीए के साथ सदस्यता के लिए आवेदन करते समय समाचार प्रसारकों को एक परिवचन देना होगा कि वे आचार संहिता, स्व-विनियमन दिशानिर्देश और एडवाइजरी का पालन करेंगे। इसके अलावा, जैसा कि आईबीएफ द्वारा सूचित किया गया है, बीसीसीसी गैर-समाचार और समसामयिकी की श्रेणी चैनलों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करती है। गैर-आईबीएफ सदस्य चैनल बीसीसीसी के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, यद्यपि वे ऐसा स्वेच्छा से कर सकते हैं।

54. यह पूछे जाने पर कि क्या सभी 926 अनुमति प्राप्त सेटेलाइट टेलीविजन चैनल स्वत: ही स्वनियामक निकायों के सदस्य हो जाते हैं, एनबीए द्वारा सूचित किया गया कि एनबीएसए द्वारा जारी आचार सहिंता, दिशानिर्देश और एडवाइजरी समाचार प्रसारण प्रतिष्ठान (एनबीए) के सदस्य प्रसारकों के सभी चैनलों पर लागू होती है। एनबीए के साथ सदस्यता के लिए आवेदन करते समय समाचार प्रसारकों को एक परिवचन देना होगा कि वे स्व-विनियमन दिशानिर्देश और एडवाइजरी के लिए आचार-संहिता का पालन करेंगे। इसके अलावा आईबीएफ के संबंध में यह बताया गया है कि

सभी बड़े प्रसारक आईबीएफ के सदस्य हैं और स्वत: ही सदस्यता, आवेदन करने और वार्षिक सदस्यता, शुल्क का भुगतान करने पर मिलती है। तथापि, कुछ छोटे प्रसारक जो आईबीएफ के सदस्य नहीं हैं, लेकिन बीसीसीसी चैनलों के विरुद्ध शिकायत, यदि कोई पर ध्यान देती है। आईबीएफ ने यह बताया गया है कि गैर-आईबीएफ सदस्य चैनल स्व-विनियमन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए बीसीसीसी द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करते हैं और उनका पालन भी करते हैं।

55. इस संदर्भ में समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि पिछले 5 वर्षों के दौरान गैर-सदस्यों के संबंध में कितनी शिकायतें रिपोर्ट की गईं और ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई। उत्तर में यह बताया गया कि 2015 और 2019 के बीच, 141 मामलों में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई। इनमें से, 119 मामलों पर उन चैनलों के संबंध में कार्रवाई की गयी जो आईबीएफ और एनबीए के सदस्य नहीं हैं। उन चैनलों जो एनबीए और आईबीएफ के सदस्य नहीं है, के इस संबंध में की गई कार्रवाई निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

वर्ष	एडवाइजरी	चेतावनी	माफी स्क्रॉल चलाने का आदेश	प्रसारण बंद	कुल
2015	1	9	2	5	**17**
2016	5	4	0	2	**11**
2017	1	0	0	2	**3**
2018	0	0	0	1	**1**
2019	23	35	26	3	**87**
कुल	**30**	**48**	**28**	**13**	**119**

56. इस विषय में पूछे जाने पर कि इन गैर-आईबीएफ और गैर-एनबीए सदस्यों को कैसे विनियमित किया जाता है, यह बताया गया कि गैर-सदस्य चैनलों द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से संबंधित शिकायतों पर मंत्रालय में ही कार्रवाई की जाती है। तथापि, यदि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

गैर-सदस्य प्रसारकों को एनबीएसए के अधिकार क्षेत्र में आने का निर्देश देता है तो एनबीएसए गैर-सदस्य प्रसारकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए इच्छुक है।

57. यह पूछे जाने पर कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा नैतिक मानदंडों के उल्लंघन के लिए दिए जाने वाले दंड की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा क्या है एनबीएसए ने सूचित किया है कि इसे संबोधित या अन्यथा रूप में कोई शिकायत प्राप्त होने पर यदि एनबीएसए का सकारण यह मानना हो कि प्रसारणकर्ता ने एनबीएसए द्वारा समय-समय पर जारी आचार संहिता, दिशानिर्देशों, एडवाइजरियों का उल्लंघन किया है, तो एनबीएसए, संबंधित प्रसारणकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उस तरीके, जो विनियमों में निर्धारित हो, से जांच कर सकता है और, वह संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में कारण दर्ज करते हुए उस प्रसारणकर्ता को चेतावनी दे सकता है, सावधान कर सकता है, उसकी निंदा कर सकता है, उससे असहमति व्यक्त कर सकता है और/या प्रसारणकर्ता पर 1,00,000/- रु. (मात्र एक लाख रु.) का जुर्माना लगा सकता है और/या संबंधित प्राधिकारी को ऐसे प्रसारणकर्ता का लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने की सिफारिश कर सकता है।

58. इस संदर्भ में बीसीसीसी ने यह सूचित किया है कि यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई उल्लंघन हुआ है, तो वह संबंधित चैनल को बीसीसीसी से निदेश प्राप्त होने से एक सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसी सामग्री में संशोधन करने या उसे हटाने का निर्देश देती है। यदि किसी चैनल को यह पाया जाता है कि उसने किसी भी ऐसी आपत्तिजनक अनधिकृत सामग्री, संदेश या संवाद का प्रसारण किया है, जो सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध हो या जिसके निरंतर प्रसारण से कानून और व्यवस्था की गंभीर अव्यव्यस्था पैदा हो सकती है या जिससे हिंसा भड़क सकती है, तो बीसीसीसी, उचित विचार करने पर, चैनल को आपत्तिजनक प्रसारण का तत्काल प्रसारण रोकने का निदेश देते हुए अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। बीसीसीसी अधिकतम 30,00,000/- रुपये (तीस लाख रु.) तक का वित्तीय दंड भी लगा सकती है, जो हल्के से लेकर गंभीर उल्लंघनों के स्तर पर आधारित होता है और तदनुसार वित्तीय दंड की राशि का निर्धारण किया जाता है।

59. समिति ने आगे यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या जुर्माने की राशि उचित है और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से होने वाले नुकसान के अनुरूप है। उत्तर में एनबीए ने बताया कि सवाल

यह है कि सदस्य प्रसारक पर लगने वाले दंड की मात्रा उचित है तथा इसे बढ़ाया या घटाया जाना चाहिए, इस बात पर एनबीए द्वारा विचार किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि विनियमन 7.1 के अंतर्गत दंड के अलावा एनबीएसए चेतावनी दे सकता है, नसीहत दे सकता है, निंदा कर सकता है, अस्वीकृति व्यक्त कर सकता है और किसी चैनल को प्राइम टाइम पर माफी प्रसारित करने का निर्देश दे सकता है। क्षमा याचना का पाठ स्पष्ट रूप से श्रव्य वॉयस-ओवर (धीमी गति में) के साथ बड़े फ़ॉन्ट आकार में पूर्ण स्क्रीन पर (स्थिर रूप में) प्रसारित होता है। अधिक गंभीर मामलों में, एनबीएसए प्रसारक पर दंड लगाने के अलावा माफी मांगने का भी निर्देश देता है और एक साथ, इस तरह के दंड निश्चित रूप से गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के कारण होने वाले नुकसान के अनुपात में होंगे।

60. सामान्यतया स्व-विनियामक निकायों द्वारा और विशेष रूप से एनबीए द्वारा**,** मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंडों के अनुपालन के लिए मौजूदा उपबंधों/तंत्रों की पर्याप्तता के विषय में यह बताया गया कि एनबीए का मत है कि समाचार प्रसारित करते समय मीडिया को नैतिक मानदंडों का पालन करने के लिए पर्याप्त कानून और तंत्र मौजूद हैं। सामान्यतया स्व-विनियामक निकायों द्वारा और विशेष रूप से एनबीए द्वारा**,** मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंडों के अवलोकन के लिए मौजूदा प्रावधान/तंत्र पर्याप्त हैं। चूंकि, यह एक सतत प्रक्रिया है; एनबीएसए इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है कि प्रसारण मानदंडों में सुधार लाने में मदद के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएं। प्रसारण मानकों में सुधार और आचार संहिता, दिशा-निर्देशों और परामर्श के अनुपालन के लिए एनबीबीएसए सदस्य प्रसारकों के संपादकीय कर्मचारियों के लिए व्याख्यान सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत अभिव्यक्ति रूपरेखा और सीमाओं से अवगत कराया जा सके।

<u>स्वनियामक निकायों की चिंताएं</u>

61. स्वनियामक निकायों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि वह स्व-नियामक निकायों को कोई मान्यता नहीं देता है। समाचार और समसामयिकी चैनलों और गैर-समाचार और समसामयिकी चैनलों के मामलों में स्व-नियमन को संस्थागत कर दिया गया है। जबकि सरकार के प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक

मीडिया में स्व-नियमन को बढ़ावा दिया है, उद्योग द्वारा स्थापित किसी ऐसे स्व-नियमन निकाय को मान्यता प्रदान करने के लिए इस मंत्रालय को सक्षम करने के लिए कोई सांविधिक प्रावधान अथवा किसी तरह के दिशानिर्देश नहीं हैं।

62. स्वनियामक निकायों की मान्यता के मुद्दे पर, एनबीए ने निम्नवत बताया है:-

"पिछले कई वर्षों से एनबीए स्व-नियमन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अभ्यावेदन देता रहा है, मंत्रालय को एनबीएसए को "समाचार शैली" के लिए स्व-नियामक निकाय के रूप में मान्यता देनी चाहिए और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों (सीटीएन नियमों), 1994 के नियम 6 "कार्यक्रम संहिता" के तहत एनबीएसए की आचार संहिता को अधिसूचित करना चाहिए। वर्तमान में, एनबीए के विनियम केवल एनबीए के सदस्यों पर बाध्यकारी हैं। सीटीएन नियमों में एनबीएसए की आचार संहिता को शामिल करने से यह सदस्यता से निरपेक्ष रहते हुए सभी समाचार प्रसारकों पर बाध्यकारी हो जाएगा। इससे एनबीएसए को और अधिक अधिकार मिलेंगे और यह इसे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के समकक्ष भी रखेगा जिसकी संहिता सीटीएन नियमों में शामिल की गई है। एनबीएसए की आचार संहिता को कार्यक्रम संहिता में उसी तरह मान्यता दी जानी चाहिए जैसे एड-एएससीआई की संहिता को सीटीएन नियम,1994 में विज्ञापन संहिता के अंतर्गत स्वीकृति और मान्यता दी गई है।"

63. एनबीए और एनबीएफ की मान्यता न होने के कारणों के विषय में पूछे जाने पर मंत्रालय ने बताया कि:-

(एक) "एनबीए और एनबीएफ स्व-विनियामक संगठन हैं जिनमें प्राइवेट टेलीविजन प्रसारकों के प्रतिनिधि होते हैं। ये संगठन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

(दो) इस समय अनुमति प्राप्त कुल न्यूज और गैर-न्यूज चैनलों की संख्या 869 है। इनमें से 386 न्यूज़ चैनल हैं। एनबीए और एनबीएफ की सीमित सदस्यता है (कुल लगभग 145) और अनेक चैनल इन संगठनों के सदस्य नहीं हैं।"

ग. टेलीविजन रेटिंग पॉइन्ट (टीआरपी)

64. सिमति को सूचित किया गया है कि भारत में टेलीविजन रेटिंग पाइंट (टीआरपी) के रूप में टेलीविजन दर्शक माप तंत्र 1993 से अस्तित्व में है जब दूरदर्शन दर्शक अनुसंधान यूनिटों द्वारा एकत्रित दूरदर्शन दर्शक रेटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद यह कार्य अन्य रेटिंग एजेंसियों जैसे इंडियन नेशनल ऑडियंस ट्रेनिंग मेजरमेंट (इनटैम), टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (टैम), ऑडियंस मेजरमेंट एंड एनॉलिटिक्स लिमिटेड (एमैप) आदि द्वारा किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16.01.2014 को टीआरपी संबंधी एजेंसियों के लिए दिशानिर्देश जारी करने से पहले धीरे-धीरे टैम देश में मात्र टीआरपी एजेंसी रह गई। तथापि, टैम द्वारा अपनाई गई रेटिंग प्रणाली में कई कमियां थी जैसे अपर्याप्त सैंपल आकार, पारदर्शिता न होना और अपनाई गई पद्धति में विश्वसनीयता की कमी, प्रसारकों की एक दूसरे में साझेदारी आदि। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2008-09) ने भी टीआरपी की व्यापक जांच की और "भारत में टेलीविजन दर्शक माप" शीर्षक से अपने 67वीं प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में इस तंत्र में खामियों को दूर करने के लिए कई सिफारिशें कीं।

65. ट्राई ने 19.08.2008 को "टेलीविजन दशर्क मापन/टीआरपी हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश और प्रचालनीय मुद्दे पर" सिफारिशें दी। ट्राई ने अन्य के साथ-साथ यह सिफारिश की कि उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय अर्थात बार्क के सर्वोत्तम कार्य कर सकता है और यह कि विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए एक ढांचे से इस प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सकेगा।

66. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में मौजूदा टीआरपी प्रणाली की समीक्षा करने के लिए फिक्की के तत्कालीन महासचिव डॉ. अमित मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। उक्त समिति ने दिनांक 25.11.2010 की अपनी रिपोर्ट में प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद् (बार्क) दवारा टेलीविजन रेटिंग के लिए एक पारदर्शी तथा विश्वसनीय स्व-विनियामक तंत्र स्थापित करने के लिए विस्तृत सिफारिशे की थी। समिति ने महसूस किया था कि सटीक अद्यतन और संगत निष्कर्ष देने के लिए गुणवत्ता और पद्यति में निरंतर सुधार हेतु विश्वसनीय स्व नियमन होन चाहिए और समिति ने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि उद्योगों द्वारा स्वनियमन आगे बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है।

67. इसके पश्चात, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिनांक 16.11.2012 के पत्र द्वारा ट्राई से भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के प्रत्यायन हेतु व व्यापक दिशानिर्देश/ प्रत्यायन तंत्र निर्धारित करने के लिए अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया। ट्राई ने हितधारकों के साथ अनिवार्य परामर्श करने के बाद 11.09.2013 को "टेलीविजन रेटिंग संबंधी दिशानिर्देश" पर अपनी सिफारिशें दीं। ट्राई ने सिफारिश की कि टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों को दिशानिर्देशों के रूप में एक ढांचे द्वारा विनियमित किया जाएगा, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा तथा सभी रेटिंग एजेंसियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण करवाना होगा। ट्राई ने निम्नलिखित आधार पर स्व-विनियमन मॉडल हेतु कतिपय प्रावधानों के लागू न होने की सिफारिश की, जहां बार्क जैसे उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय दवारा (निम्नलिखित आधार पर) स्वयं रेटिंग दी जाती है:

> "स्व-विनियमन मॉडल के मामले में रेटिंग का कार्य करने वाले उद्योग निकाय में उद्योग के संगत विभाग अर्थात प्रसारण, विज्ञापन तथा विज्ञापन एजेंसियों के नामिती होंगे। अत: ऐसे उद्योग निकाय के लिए एक दूसरे में हिस्सेदारी की अपेक्षा का पालन करना संभव नहीं होगा। उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय के निदेशक मंडल में उद्योग से भी सदस्य के रूप में लिए जाएंगे। अत: निदेशक मंडल में किसी भी सदस्य के प्रसारण, विज्ञापन या विज्ञापन एजेंसी के कारोबार में न होने की अपेक्षा को उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार इस उद्योग निकाय का वित्तपोषण उद्योग द्वारा किया जाता है, अतः ऐसे निकाय, के लिए निवल मूल्य की अपेक्षा विनिर्दिष्ट करने की कोई भी आवश्यकता नही भी हो सकती है।"

68. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ट्राई की सिफारिशों की जांच करने हेतु गठित अंतर मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) ने इन सिफारिशों पर सहमति दी । मंत्रालय ने आवश्यक स्वीकृति के बाद, 16.01.2014 को "भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियां संबंधी नीतिगत दिशानिर्दश" संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बीएआरसी) को नीतिगत दिशानिर्देशों के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 28.07.2015 को दस वर्ष की अवधि के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था। बार्क, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), इंडियन सोसाइटी फॉर एडवरटाइजर्स (आईएसए) और

एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएएआई) द्वारा सृजित एक स्व-विनियमित, गैर-लाभकारी निकाय है। बार्क तकनीकी समिति, निगरानी समिति, अनुशासनात्मक परिषद और निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करती है।

69. जब समिति ने यह जानना चाहा कि क्या दूरदर्शन और आकाशवाणी सभी तरह के टीआरपी व्यवसाय में भाग लेते हैं और किस प्रकार दर्शकों की गणना की जाती है, प्रसार भारती के सीईओ ने निम्नवत उत्तर दिया:-

> "दर्शकों का मापन टीवी और रेडियो पर विभिन्न तरीके से कार्य करता है। अभी तक रेडियो के मामलों में कोई प्रौद्योगिकी आधारित मापन तंत्र नहीं है। अतः यह बहुत विकसित तंत्र नहीं है। जहाँ तक टेलीविजन बात है, दूरदर्शन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) का संस्थापक सदस्य था और आईबीएफ के अंग के रूप में दूरदर्शन भी बीएआरसी का संस्थापक सदस्य भी है क्योंकि 2015 में रेटिंग प्रणाली टीएएम से बीएआरसी को स्थानांतरित हो गई है। अतः आज लगभग 20 से अधिक चैनल बीएआरसी टीआरपी प्रणाली से मांपे जाते हैं और सामान्यतः मैंने यह देखा है कि जब दर्शक का आधार बड़ा होता है तब मापन प्रणाली अधिक सही होती है और और यह दर्शाती है कि क्या देखा जा रहा है। हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से जब दूरदर्शन पर प्रसिद्ध धारावाहिक दिखाए जा रहे थे तब हम रेटिंग चार्ट पर उच्च स्तर पर थे और यह कई सप्ताह तक जारी रहा। वस्तुतः, लगभग पिछले सप्ताह तक हम उच्च तीन चैनलों में थे। पिछले हफ्ते के बाद ही जब 'कौन बनेगा करोड़पति', और 'बिग बॉस' शुरू हुआ था, हमारी रेटिंग गिरनी शुरू हो गई थी। अतः सामान्यतः यह दर्शाया गया है क्योंकि दर्शकों का व्यापक आधार काफी बड़ा है और जहां दर्शकों विशेष कर अंग्रेजी समाचार के दर्शकों का आधार कम है वहां नमूने का आधार बहुत ही कम है- अंग्रेजी समाचार चैनल देखने वाले घरों की संख्या बहुत कम है तथा सांख्यिकीय मापन में चूक बहुत अधिक होती है। अत: कुछ परिवारों में एक बहुत छोटे से परिवर्तन से मापन पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। अतः इस सांख्यिकीय पैनल आधारित आंकड़े की यही खामी है।'

70. लक्ष्य के अनुसार घरों के नमूनों के आकार को 44 हजार से बढ़ाकर 67 हजार न करने के कारण के संबंध में प्रसार भारती के सीईओ ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया-

> "बीएआरसी ने कई वर्षों से नमूने की संख्या को बढ़ा दिया है। अब यह 44000 घरों की रेटिंग कर रही है..×××..××.×× अभी तक उन्होंने ऐसा (67 हजार)नहीं किया है क्योंकि

प्रचालन लागत महत्वपूर्ण होती है और अब केवल प्रसारक को ही प्रचालन लागत वहन करना पड़ता है। वास्तव में विज्ञापनदाता बीएआरसी के प्रचालन भार का वहन नही कर रहें हैं। अतः कार्य को तेजी से गति देने के प्रति उनकी सीमाएं हैं। जनगणना आधारित मापन एक विकल्प हो सकता है। जनगणना आधारित मापन विशेष रुप से डिजिटल जगत में किया जाता है ,जब हम इंटरनेट आदि का उपयोग करते हैं। गूगल या फेसबुक इसका मापन करता है। यह सब पर समान रूप से लागू है। हर व्यक्ति का मापन होता है लेकिन नमूने का नहीं । अब इसे टेलीविजन पर करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आपको इसके लिए पाथ वे डाटा और सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सेटअप बॉक्स का मापन करना होगा और उत्तर देना होगा किंतु इसमें निजता के मुद्दे भी शामिल होंगे। अतः यह एक जटिल स्थिति है किंतु वैश्विक रूप से कतिपय प्रायोगिक योजनाएं चल रही हैं। जनगणना वार मापन का प्रयोग किया जा रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है।"

71. एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में साक्षी ने निम्न मत बताया-

"भारत में मेरे विचार में टाटा स्काई और एयरटेल जैसे ऑपरेटर हैं। इनमें से कुछ अपने सेट टॉप बॉक्स स्तर पर मापन भी करते हैं और इन आंकड़ों को अभी तक बीएआरसी से साझा नहीं किया जाता। उसे उनके पास ही रखा जाता है।"

72. समिति ने आगे पूछा कि क्या प्रसार भारती के पास यह पता लगाने के लिए कोई इन-हाउस मापन प्रणाली है कि दूरदर्शन चैनल अन्य चैनलों के साथ किस तरह प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस पर साक्षी ने निवेदन किया कि:

"हमारे पास कोई इन-हाउस माप नहीं है। हमारे पास एक ऑडियंस रिसर्च कैडर हुआ करता था जो वर्षों से समाप्त हो गया है और यहां तक कि वे पेपर बेस सर्वे भी कर रहे थे जो बहुत सटीक या प्रभावी नहीं था। कुछ स्टार्ट-अप हैं जो स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करते हुए वैकल्पिक माप कर रहे हैं। इसलिए, हमने अपने तीन चैनलों के लिए उस डेटा की सदस्यता ली है ताकि बार्क डेटा की तुलना स्टार्ट-अप्स के साथ की जा सके कि वे इसे एक अलग तकनीक का उपयोग करके कैसे माप रहे हैं और रुझान आमतौर पर संगत होते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि माप आम तौर पर सटीक है क्योंकि डीडी राष्ट्रीय समाचार काफी बड़े नमूना चैनल हैं।"

73. समिति जानना चाहती थी कि कुछ ऑपरेटर एक फोन में एक ऐप का उपयोग कर कैसे मापते हैं कि लोग क्या देख रहे है । इस पर साक्षियों ने निम्नलिखित जानकारी दी :

"महोदय, प्रौद्योगिकी जिस तरह से काम करती है वह यह है कि यह ऑडियो वाटरमार्किंग पर आधारित है। अत: यह बीएआरसी मीटर हो या स्मार्ट फोन वाला तरीका हो, वे व्यापक आवाजें सुन रहे है और उनके पास ऑडियो का फिंगरप्रिंट होता है जो कि प्रत्येक चैनल द्वारा सृजित किया जाता है और उसके आधार पर वे विशिष्ट रूप से पहचान करते हैं कि कौन सा चैनल चलाया जा रहा है..। वह सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता है। अत: जब कोई व्यक्ति सेवा को सब्सक्राइब करता है तो यह सॉफ्टवेयर काम करता है "

74. टीआरपी में धांधली के तरीकों के बारे में पूछे जाने पर प्रसार भारती के सीईओ ने निम्नवत जानकारी दी:-

"मापन दो स्तरों पर काम करता है। एक वास्तविक मीटर बॉक्स है जिसे विभिन्न घरों में रखा जाता है और फिर यह मीटर बॉक्स मापते हैं और वे डेटा को बैक एंड सिस्टम में भेजते हैं जहां नमूना लिया जाता है और सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। आमतौर पर, हेरफेर घरेलू स्तर पर होता है क्योंकि इन घरों की जानकारी गोपनीय रखी जानी चाहिए और चैनलों को आम तौर पर यह नहीं पता होना चाहिए कि किस घर में बॉक्स है.....इसलिए, यह देखा गया है कि जो अभिकरण इन बाक्सों के प्लेसमेंट का प्रबंधन करती हैं, उनके स्टाफ को आम तौर पर आसानी से प्रभावित किया जा सकता है और जब वे यह जानकारी देते हैं कि किस घर में बॉक्स है तभी उस स्तर पर हेरफेर या छेड़छाड़ होती है ....xxxxx.. यदि उस एजेंसी का स्टाफ ऐसा करता है....। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे प्रलेखित उदाहरण हैं जहां पिछले वर्षों में उन्होंने इन मामलों का पता लगाया है और फिर उन्होंने शिकायतें दर्ज की हैं और इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की है।

75. समिति ने सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से भारत में देखे जाने वाले टेलीविजन सेटों के प्रतिशत के बारे में भी पूछा। इसके उत्तर में, निम्नवत बताया गया:

"मुझे लगता है कि यह लगभग 200 मिलियन परिवारों में से लगभग 160 मिलियन परिवार हैं। यह आंकड़े कुछ साल पुराने हैं।"

76. एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में कि क्या सेट टॉप बॉक्स का उपयोग करने वाले सभी टीवी का 80 प्रतिशत पर्याप्त प्रतिनिधित्व करेगा। साक्षी ने सकारात्मक उत्तर दिया।

77. जब यह पूछा गया कि डीडी बाकी प्रतिस्पर्धा के साथ कैसे बराबरी करता है, विशेष रूप से राजस्व और साथ ही लोगों तक पहुंच के संदर्भ में डीडी का दृष्टिकोण क्या हैं और कितने लोग डीडी चैनलों पर प्राइम न्यूज देखते हैं. इसके उत्तर में, सीईओ, प्रसार भारती ने निम्नवत बताया :

> "महोदय, चूंकि हम अनेक चैनल संचालित करते हैं, इसलिए परिदृश्य प्रत्येक शैली और भाषा और क्षेत्र के लिए अलग है। डीडी नेशनल, पिछले कुछ वर्षों से, बहुत प्रतिस्पर्धी नहीं रहा है क्योंकि निजी मनोरंजन चैनलों की पर्याप्त पहुंच रही है । पिछले लॉकडाउन के दौरान हमने काफी हद तक अपना स्थान बना लिया है। हम कई महीनों के लिए चार्ट में सबसे ऊपर थे और पिछले हफ्ते तक हम शीर्ष 5 में थे. ..... दूरदर्शन के पुराने धारावाहिकों की वजह से ही हम प्रसारण करते रहे हैं। तो, अब केबीसी और बिग बॉस और दूसरे चैनलों के नए एपिसोड के आने से यह डीडी नेशनल के लिए गति को बनाए रखना मुश्किल हो गया है।"

78. इसके बाद समिति ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि टाटा स्काई और एयरटेल के मिला कर संयुक्त रूप से कई लाख सेट टॉप बॉक्स हैं और उनके पास डेटा है जबकि बीएआरसी के पास 40,000 परिवारों के आंकड़े हैं और इसलिए आंकड़ों की तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा, जब टैम हटा दिया गया था और बीएआरसी को लाया गया था, टैम ने बीएआरसी का सॉफ्टवेयर खरीद लिया था और इसलिए टैम वापस आ गया है । ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरा पक्ष टैम है । इस पर, साक्षी ने उत्तर दिया: "हां, मीटर बॉक्स में, टैम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।"

चार. डिजिटल/ सोशल मीडिया

79. ई-समाचार पत्रों सहित इंटरनेट पर सभी प्रकाशन आईटी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत शासित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षा के संदर्भ में या ऑनलाइन सामग्री से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने पर, जो आईटी अधिनियम की धारा 69क के तहत कार्रवाई का वारंट है, अनुप्रयोज्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार उचित अनुवर्ती कार्रवाई करता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को आईटी अधिनियम, 2000 में मध्यस्थों के रूप में परिभाषित किया

गया है और यदि वे कार्य नियमों का उचित पालन करते हैं जिसे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश) नियम, 2011 के रूप में अधिसूचित किया गया है तो उन्हें देयता से छूट का लाभ मिलता है। आईटी अधिनियम की धारा 79 में 'समुचित सरकार या उसके अभिकरण' को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए मध्यस्थ को सूचित करने का अधिकार है।

80. पिछले 5 वर्षों के दौरान मीडिया कवरेज में नैतिकता के मानकों का पालन न करने के कारण दंड का सामना करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के बारे में पूछे जाने पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, 2000 में अवरोधन नियमों की धारा 69क के माध्यम से जिन यूआरएल तक सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए आदेश दिए हैं, उनके संबंध में वर्षवार विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है :-

वर्ष	**अवरुद्ध (ब्लाक) करने के लिए आदेश किये गये यू आर एल की संख्या**
2015	500
2016	633
2017	1385
2018	2799
2019	3603

81. यह पूछे जाने पर कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि अवरुद्ध करने के लिए दिए गए यूआरएल को वास्तव में अवरुद्ध कर दिया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सूचित किया है कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत अवरुद्ध आदेश "जनता हेतु सूचना के लिए अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियम, 2009" में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में जारी किए जाते हैं। संबंधित मध्यवर्तियों को आदेश जारी किए जाते जिनके मंच पर सूचना होस्ट की जाती है। इन मध्यवर्तियों को अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा जाता है। एक पूरी

वेबसाइट को अवरुद्ध करने के मामले में, दूरसंचार विभाग (डीओटी) को निर्देश जारी किए जाते हैं। दूरसंचार विभाग उससे लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करता है।

82. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले न्यूनतम और अधिकतम जुर्माने के संबंध में यह सूचित किया गया है कि आईटी अधिनियम (धारा 45) के तहत यदि वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 में निर्धारित नियमों का उचित रुप से पालन नहीं करते हैं तो इंडरमीडियरीज पर अधिकतम 25,000 रुपये का अवशिष्ट दंड लगाया जा सकता है। उन्हें कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को सूचित करना होता है कि वेकिसी अन्य व्यक्ति से संबंधित किसी भी जानकारी को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, अपडेट या साझा न करें जिसके लिए उपयोगकर्ता को कोई अधिकार नहीं है; जो अत्यधिक हानिकारक, परेशान करने वाला, निंदा, अपमानजनक, अश्लील, पीडोफिलिक, अपमानजनक, किसी अन्य की गोपनीयता का आक्रामक, घृणित, या नस्ली, जातीय रूप से आपत्तिजनक, अपमानजनक, धन शोधन या जुए को प्रोत्साहित करने वाला या अन्यथा गैरकानूनी है; नाबालिगों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएं; किसी भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या अन्य मालिकाना अधिकारों का उल्लंघन करती हो; वर्तमान में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करता है; ऐसे संदेशों की उत्पत्ति के बारे में प्रेषिती को धोखा देता है या गुमराह करता है या घोर आक्रामक या खतरनाक प्रकृति की किसी भी जानकारी का संचार करता है; किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करता ; उसमे सॉफ्टवेयर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर कोड है, फ़ाइलों या किसी भी कंप्यूटर संसाधन की कार्यक्षमता को बाधित करने, नष्ट करने या सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम शामिल हैं; और भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक व्यवस्था या किसी भी संज्ञेय अपराध करने को उकसाना या किसी अपराध की जांच को रोकता है या किसी अन्य राष्ट्र के लिए अपमान जनक है। आईटी अधिनियम की धारा 79 में यह भी उपबन्ध है कि मध्यस्थों को अदालत के आदेश के माध्यम से या किसी समुचित सरकार या उसके अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने पर गैरकानूनी सामग्री को निष्क्रिय/हटाने की आवश्यकता होती है। आईटी अधिनियम के अनुसार, भारत के संविधान द्वारा आवंटित गतिविधियों के आधार पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी।

83. सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में नैतिक मानकों को देखने के लिए मौजूदा प्रावधानों/तंत्रों की पर्याप्तता के संबंध में, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करके प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं से निपटने के लिए एक आचार संहिता विकसित किए जाने की आवश्यकता है ।

84. मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करते हुए कि प्रौद्योगिकियों के अभिसरण के कारण मोबाइल उपकरणों पर टीवी देखना एक बात हो गई है। समिति ने जानना चाहा कि इस तथ्य के आलोक में कि समाचार पोर्टल वर्तमान में आईटी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें विनियमित करने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है? इसके उत्तर में मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल फोन पर सामग्री इंटरनेट आधारित है और वर्तमान में आईटी सेवाओं को आईटी अधिनियम, 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कवर किया जाता है।

85. दूरसंचार, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पृथक जिम्मेदारियों के संबंध में एक विशिष्ट प्रश्न के संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में, वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी और रेडियो) पर सामग्री को देखते हैं और ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया पर सामग्री के लिए, प्रस्ताव वर्तमान में सरकार के विचाराधीन है।

86. इसी प्रकार के संदर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् कहा:-

> "हमने सरकार को व्यापार के नियमों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव दिया था ताकि डिजिटल मीडिया पर सामग्री से संबंधित यह मामला हमें हस्तांतरित किया जा सके।"

87. सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सामग्री नियमन के कार्य के आवंटन के मामले में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने 13-11-2020 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने 09-11-2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में कार्य आवंअन नियमावली, 1961 के आवंटन में संशोधन कर दिया है और मंत्रालय के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल की गई हैं जो इस प्रकार है:-

"बीए: डिजिटल /ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम.

22ख. ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर समाचार सम-सामयिकी विषय-वस्तु "

88. इस मुद्दे पर विस्तार से बोलते हुए, सूचना और प्रसारण सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

"महोदय, पूर्ण रुप से हमारी सोच है कि समान अवसर की आवश्यकता है कि यदि मैं ऑनलाइन माध्यम पर प्रकाशित करता हूं तो मैं किसी विनियम के अधीन नहीं हूं और यदि मैं वही बात प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करता हूं तो पीसीआई है। यदि यही बात टीवी पर दिखाई देती है तो सरकार कार्रवाई कर सकती है लेकिन यदि इसे छापा जाता है तो उस सीमा तक समाचार पत्र सरकार से अलग हैं क्योंकि सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, केवल पीसीआई ही कार्रवाई कर सकती है। इसलिए ये अलग-अलग मॉडल इसलिए हुए हैं क्योंकि आईपी टीवी, मोबाइल टीवी और अन्य चैनलों पर एक ही चीज आ रही है। हम कहेंगे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम उन चैनलों पर लागू होता है जो हमारे स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा भेजे जा रहे हैं लेकिन यदि यह सीधे मोबाइल पर आ रहा है या यह एक आईपी टीवी है तो इसका क्या होगा । हम अखबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर, पंजीकरण को छोड़कर, जो एक लंबी प्रक्रिया होगी, अन्यथा हर चीज को, पीसीआई नियंत्रित करता है। इसलिए ये अलग-अलग मॉडल इसलिए हुआ है क्योंकि आईपी टीवी, मोबाइल टीवी और अन्य चैनलों पर एक ही चीज आ रही है। हम कहेंगे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम उन चैनलों पर लागू होता है जो हमारे स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा भेजे जा रहे हैं लेकिन यदि यह सीधे मोबाइल पर आ रहा है या यह एक आईपी टीवी है तो इसका क्या होगा।"

89. यह पूछे जाने पर कि क्या नेटफ्लिक्स, वूट, अमेजन प्राइम जैसे ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने वाले कोई नियम या नीतियां हैं, मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित होने वाली सामग्री की प्रकृति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इस मंत्रालय ने ओटीटी कंपनियों के साथ 10, 11 अक्टूबर 2019 को मुंबई में, 11 नवंबर, 2019 को चेन्नई में आठ 2 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में परामर्श किया था। इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने सूचित किया कि

उन्होंने "डिजिटल क्यूरेटेड कॉन्टेंट कंप्लेंट काउंसिल (डी सी सीसी)जो एक शिकायत निपटान प्रणाली है, 'सहित स्व विनियमन की' श्रेष्ठ प्रक्रिया संहिता' के दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया था. कुछ ओटीटी कम्पनियों ने पहले ही इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने या सहमति देने पर सहमति जताई थी। मंत्रालय को उम्मीद है कि निकट भविष्य में भारत की सभी ओटीटी कम्पनियां अपने बलबूते एक प्रभावी स्व-विनियमन तंत्र बनाने के लिए एक साथ जुड़ेंगे जिससे विभिन्न ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रदर्शित होने वाली सामग्री को विनियमित करने में मदद मिलेगी। इस बीच, सरकार ने 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। नियमों का भाग-**I** प्रारंभिक है और इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। भाग-**II** **'**मध्यवर्तियों**'** से संबंधित है और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाएगा. भाग III सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा और यह समाचार प्रकाशकों और डिजिटल मीडिया पर ओटीटी प्लेटफॉर्मों के लिए डिजिटल मीडिया आचार संहिता प्रदान करता है जो यह विहित करती है कि नियम एक प्रगतिशील संस्थागत तंत्र स्थापित करें जिससे एक समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध हो सके और जिनकी एक आचार संहिता तथा त्रिस्तरीय शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि हो। ओटीटी प्लेटफॉर्म सामग्री को पांच आयु आधारित श्रेणियों-यू (यूनिवर्सल), यू/ए 7 +, यू/ए 13 +, यू/ए 16 +, और ए (वयस्क) में स्वयं वर्गीकृत करेगा। प्लेटफार्मों को **U/A** 13 + या उससे उच्चतर के रूप में वर्गीकृत अंतर्वस्तु के लिए पैरेंटल लॉक को लागू करने, और "ए" के रूप में वर्गीकृत अंतर्वस्तु के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र की आवश्यकता होगी। डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना होगा ताकि ऑफलाइन (प्रिंट, टीवी) और डिजिटल मीडिया के बीच समान अवसर प्रदान किया जा सके। नियमों के तहत त्रिस्तरीय शिकायत प्रतितोषण क्रियाविधि स्थापित की गई है स्तर एक प्रकाशक, और स्तर दो स्व नियामक निकाय होने के नाते, और तीसरा स्तर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत निरीक्षण तंत्र है। स्व नियामक निकाय का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या संबंधित क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और वह प्रकाशक को परामर्श जारी कर सकता है ।

90. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित किए जाने वाले सोशल मीडिया से संबंधित मुख्य विशेषताएं शामिल हैं **(i)** मध्यवर्तियों द्वारा उचित तत्परता अपनाई जाये **(ii)** शिकायत

प्रतितोषण प्रणाली **(iii)** उपयोगकर्ताओं**,** विशेष रूप से महिला उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना**, (iv)** सोशल मीडिया मध्यवर्तियों की दो श्रेणियां (सोशल मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती) **(v)** महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से अतिरिक्त सम्यक तत्परता अपनाई जाये **(**क**)** एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना **, (**ख**)** सम्पर्क के लिए नोडल व्यक्ति **,** निवासी शिकायत अधिकारी **, (**ग**)** एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना**, (**घ**)** सूचना के उद्भवकर्ता की पहचान**, (**ड.**)** मध्यवर्ती को पहले उद्भवकर्ता को किसी भी संदेश या किसी अन्य जानकारी की सामग्री का खुलासा नहीं करना है**, (**च**)** महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का भारत में भौतिक संपर्क पता अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन या दोनों पर प्रकाशित होगा **, (**छ**)** स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र और **(**ज**)** उपयोगकर्ताओं को सुनने का अवसर देना और **(**झ**)** गैरकानूनी सूचना को हटाना।

पांच. <u>विविध</u>

(क) <u>पेड़ न्यूज</u>

91. यह नोट करते हुए कि भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार, 2015 से 2019 तक पेड न्यूज के कुल 5196 मामले थे, समिति ने पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए मौजूदा प्रावधानों के बारे में जानना चाहा। इसके उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि पीसीआई के पास पेड न्यूज पर शिकायतों सहित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र है और इन्हें प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के अनुसार निपटाया जाता है। पीसीआई ने पेड न्यूज के मुद्दे के व्यापक परिणामों को देखते हुए एक उप-समिति का गठन किया था जिसने 2010 में पेड न्यूज पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि पेड न्यूज की घटनाओं को एक दंडनीय चुनावी कदाचार बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाए ।

92. समिति को पता चला है कि भारत निर्वाचन आयोग के पास पेड न्यूज से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर एक सुनियोजित तंत्र भी है। इन मामलों में शामिल खर्च उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में शामिल होता

है जिसके खिलाफ पेड न्यूज के मामलों की पुष्टि होती है। निर्वाचन आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया कि आरपी अधिनियम, 1951 में प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि पेड न्यूज समाचारों को प्रकाशित करने और उन्हें प्रकशित करने के लिए उकसाने को कठोर दंडनीय चुनावी अपराध के रूप में शामिल किया जा सके। इस मामले को विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था जिसने इस मामले को भारतीय विधि आयोग के पास भेज दिया था, जिसने 12-3-2015 को चुनाव सुधारों पर अपनी 255 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें पेड न्यूज को चुनाव अपराध माने जाने की सिफारिश की गई थी। विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए खाका तैयार करने के लिए एक कार्य बल का गठन किया, जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। दोनों प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

93. इस संदर्भ में, पीसीआई ने कहा है कि पीसीआई के पत्रकारिता आचरण संस्करण, 2019 के मानदंडों में 'प्रिंट मीडिया द्वारा चुनाव कवरेज के लिए नैतिकता' के संदर्भ में विशिष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ये भाग बी-(ड.) चुनाव रिपोर्टिंग के तहत, (छ) पेड न्यूज पर पत्रकारों को अनुचित लाभ और मानक 29 के अधीन प्रिंट मीडिया पर लागू होते हैं। इसके अलावा, पीसीआई नैतिक रिपोर्टिंग पर और चुनाव अवधि के दौरान जारी किए गए भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य निर्देशों के मीडिया द्वारा पालन के लिए प्रेस विज्ञप्ति के रूप में मीडिया सलाह जारी करता है। इन मीडिया सलाहों का उद्देश्य सामान्य जागरूकता पैदा करना और विभिन्न समाचार मंच पर समाचारों का प्रसार करने वाली मीडिया घरानों/समाचार एजेंसियों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। प्रेस विज्ञप्तियां पीसीआई द्वारा पीसीआई की वेबसाइट, जिसे नियमित रूप से मीडिया के लोग देखते है पर पोस्ट किये जाने के अलावा अपने सदस्यों और मीडिया घरानों/इसके प्रतिनिधियों को ईमेल के माध्यम से परिचालित की जाती हैं।

(ख) <u>फर्जी खबरें</u>

94. मीडिया कवरेज में देखी जा रही झूठी/फर्जी खबरों के मुद्दे पर एनबीए ने इसे बेहद गंभीर बताया है क्योंकि ऐसे मामले में प्रसारित होने वाली खबर गलत और झूठी होती है और यह आम तौर पर समाज या समाज के कुछ वर्गों जो कि एक संवेदनशील तबका हो सकता है,को नकारात्मक प्रभाव डालने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से फैलाई जाती है।

95. समिति ने 'फर्जी ख़बरों' के खतरे से निपटने के लिए समाचार प्रसारकों की भूमिका के बारे में पूछा। इसके उत्तर में, एनबीए ने बताया है कि यहां पहले से ही कानून मौजूद हैं, भारतीय दंड संहिता, 1860, आईटी अधिनियम, 2020 और आईटी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश) नियम 2011 जैसे प्रावधान फर्जी समाचार फैलाने वाले व्यक्तियों से निपटने और दंडित करने के लिए मौजूद हैं। आचार संहिता और एनबीएसए दिशा-निर्देशों में ऐसे खंड भी शामिल हैं जो फर्जी समाचारों के मुद्दे से इस हद तक निपटते हैं जैसा कि आचार संहिता और दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि समाचार प्रसारण सही होना चाहिए,सूचना को एक से अधिक स्रोतों से एकत्र की जानी चाहिए और सूचना का सत्यापन किया जाना चाहिए और उचित परिश्रम किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एनबीएसए अपने सदस्यों को लगातार चेतावनी और सलाह देता है कि जब तक उक्त समाचार/सूचना को प्रसारक द्वारा अन्य स्त्रोतों से स्वतंत्र रूप से सत्यापित न किया जाए और जब तक कि उसने अपना उचित परिश्रम नहीं किया है, तब तक किसी भी समाचार या सूचना का उपयोग न करें।

96. इसमें आगे जोड़ते हुए,एनबीए ने बताया है कि उपरोक्त के अलावा, एनबीएसए अपने सदस्य प्रसारकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है जहां फर्जी समाचार प्रसारण हो और/या जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में उपलब्ध/परिचालित या विभिन्न स्त्रोतों से उचित परिश्रम और सत्यापन के बिना प्रसारित किया गया हो।

96. एनबीए ने आगे बताया है कि उपरोक्त के अलावा, जहां यह पाया जाता है कि फर्जी सामचार प्रसारित किए गए हैं और/अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध/परिचालित विषय-वस्तु पर भरोसा करके प्रसारित किया गया था या बिना परिश्रम किए और विभिन्न स्रोतों से सत्यापन किए बगैर प्रसारित किया गया हो, उन मामलों में एनबीएसए अपने सदस्यों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता है।

97. इसी तरह के संदर्भ में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि फर्जी समाचारों की चुनौती से निपटने के लिए तथ्य जांच यूनिट (एफसीयू) को दिसंबर, 2019 में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) में स्थापित किया गया था। ऐसा एफसीयू को पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किया गया है। इसकी शुरुआत से पीआईबी की तथ्य जांच यूनिट ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर द्विभाषी रूप से उपस्थिति बनाकर सोशल मीडिया पर समाचारों की सफलतापूर्वक तथ्यपरक जांच की है। यह ई-मेल, वॉट्सएप पर या

वेबसाइट शिकायत पोर्टल के माध्यम से इसे भेजी गई शिकायतों पर ध्यान देती है। यह यूनिट, टेक्स्ट, ऑडियो क्लिप या चित्र के रूप में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चलने वाले फर्जी समाचारों के मामलों का भी स्वतः संज्ञान लेती है। पीआईबी द्वारा ऐसे फर्जी समाचारों/दावों की सत्यता का पता लगाया जाता है और नियमित रूप से इनके बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @PIBFactCheck पर सार्वजनिक रूप से ट्वीट किया जाता है। यह सेल सरकारी नीतियों और योजनाओं पर गलत सूचना देने के लिए या तो स्वत: संज्ञान अथवा व्हाट्सएप हॉटलाइन नंबर (+918799711259), ई-मेल (pibfactcheck@gmail.com), ट्विटर (@pibfactcheck) और पीआईबी की वेबसाइट (pib.gov.in) जैसे विभिन्न इनपुट विधियों के माध्यम से एक संदर्भ के तहत मुकाबला करने के लिए अधिदेशित है।

98. इसके आगे मंत्रालय ने बताया है कि यह तंत्र सूचना के सत्यापन के लिए मंत्रालयों, विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसी विभिन्न फीडर इकाइयों पर निर्भर करता है और मंत्रालयों में पीआईबी अधिकारियों के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ है। इससे सीधे देश के प्रभावित लोगों को सटीक सूचना देकर अफवाह फैलने को रोकना सुनिश्चित हुआ है। 5 नवंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार, 350 पोस्टों की जांच की गई हैं और जहां कहीं आवश्यक हुआ एफसीयू दवारा आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। सूचना का सत्यापन करने के स्रोत के रूप में एफसीय की लोकप्रियता को इस तथ्य से आंका जा सकता है कि एफसीयू ट्विटर हैंडल के 1,61,700 फोलोवर हैं। इसके अलावा, एक अलग कोविड तथ्य जांच इकाई भी पत्र सूचना कार्यालय के तहत कार्य कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दवारा एक आदेश के तहत इकाई बनाई गई थी और ईमेल पर लोगों से तथ्य जांच प्रश्न मंगाए जाते हैं। यह इकाई राज्य सरकारों से भी जुड़ी हुई है और राज्य सरकारों से संबंधित प्रश्नों को उन्हें भेजती है।

99. पीसीआई ने आगे बताया है कि प्रिंट मीडिया द्वारा किसी भी झूठी रिपोर्टिंग के मामले में, वह प्रेस परिषद अधिनियम,1978 की धारा 14 के तहत आवश्यक कार्रवाई करता है। प्रेस परिषद (जांच विनियमन की प्रक्रिया),वह प्रेस परिषद (जांच विनियमन की प्रक्रिया), 1979 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। प्रेस परिषद अधिनियिम, 1978 की धारा 14 के तहत आवश्यक कार्रवाई करता है। इसके अलावा परिषद वाला ऐसे मामलों में स्वत: कार्रवाई की जाती है जहां प्रेस द्वारा नैतिक मानक के गंभीर उल्लंघन की पहचान की जाती है। पीसीआई ने इससे पहले 3.4.2018 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से झूठी ख़बरों पर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया जारी की थी

जिसमें कहा गया है कि यदि सरकार झूठे ख़बरों के प्रसार को रोकने के लिए उपचारात्मक कदम उठाना चाहती है, तो कुछ भी गलत या अप्रिय नहीं है, बशर्ते कि झूठी ख़बरों के आरोप की सत्यतता या अन्यथा निर्णय लेने का अधिकार पीसीआई जैसे स्वतंत्र सांविधिक निकाय को सौंपा गया हो।

100. पत्रिकाओं में फर्जी समाचारों/पेड समाचारों को विनियमित करने के लिए मंत्रालय ने बताया है कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम,1867 के अनुसार समाचार पत्र से अभिप्राय किसी भी मुद्रित आवधिक कृति से है जिसमें सार्वजनिक समाचार हो या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणी हो। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के बीच कोई अंतर नहीं है। भारत के समाचार पत्र पंजीयक में पंजीकृत पत्रिकाओं में फर्जी समाचारों/पेड न्यूज भी समाचार पत्रों की भांति भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी 'पत्रकार आचरण के मानदंड' के प्रावधानों के तहत शामिल हैं।

101. जब उन देशों का ब्यौरा पूछे जाने पर जिन्होंने अपनी प्रभावशीलता के साथ-साथ फर्जी समाचारों से निपटने के लिए कानून बनाया है, मंत्रालय ने बताया है कि प्रेस सूचना ब्यूरो के अनुसार, उन्होंने अन्य देशों में फर्जी समाचार रोधी कानूनों का कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया है। तथापि सार्वजनिक डोमेन से एकत्र किए गए आंकड़े निम्नानुसार हैं:

"रूस: यहां का कानून प्राधिकारियों को वेबसाइटों को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करता है यदि वे उस सूचना जिसे राज्य तथ्यात्मक रूप से गलत मानता है, को हटाने के अनुरोधों का पालन करने में असमर्थ रहते हैं। नए कानून के तहत, व्यक्तियों को ऑनलाइन झूठी सूचना प्रसारित करने के लिए 400,000 रूबल ($6,100) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिनसे "सार्वजनिक व्यवस्था का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है।

जो लोग राज्य, अधिकारियों, जनता, रूसी ध्वज या संविधान के लिए ऑनलाइन "घोर अनादर का प्रदर्शन करते हैं उन्हें नए कानून के तहत 100,000 रूबल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार अपराध करने वालों को 15 दिन तक की कैद हो सकती है।[(1)]

ऑस्ट्रेलिया: यहां के कानून में नए अपराध और दायित्व बनाए गए हैं, जिसमें हिंसक सामग्री को हटाने में असफल रहने पर कारावास और भारी जुर्माना शामिल है, जैसे कि क्राइस्टचर्च हमले का वीडियो शीघ्रता से ऑनलाइन प्लेटफार्मो से हटाना, जो फेसबुक पर लाइव प्रसारित किया गया था।

कानून का केंद्र बिंदु "अपमानजनक हिंसक सामग्री" (§474.34) नामक, इस अधिनियम द्वारा परिभाषित सामग्री की एक नई श्रेणी "का शीघ्रता से हटाना सुनिश्चित करना" अथवा "शीघ्रता से होस्टिंग बंद करने" में विफल रहने पर नए आपराधिक अपराधों का निर्माण है। घृणास्पद हिंसक सामग्री की रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग घृणास्पद हिंसक आचरण है, जिसे आतंकवादी कृत्य में शामिल होना, हत्या, हत्या की कोशिश, यातना, बलात्कार या अपहरण के रूप में व्यापक रुप से परिभाषित किया गया है (§474.32)।

इन अपराधों के लिए भारी दंड अधिक है। किसी व्यक्ति को तीन साल तक की कैद या 2.1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 1.5 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया जा सकता है। किसी निगम को प्रत्येक अपराध के लिए 10.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या उसके वार्षिक राजस्व का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।[(2)]

मलेशिया: अप्रैल 2018 में फर्जी खबर-रोधी अधिनियम 2018 पारित किया गया था, जिसे नजीब रजाक की अध्यक्षता वाली पिछली सरकार ने पेश किया था। इस अधिनियम की परिधि में निम्नलिखित अपराध आते हैं:

सौ हजार रिंगगिट (लगभग 120,000 यूएस डॉलर) तक का जुर्माना या छह साल तक का कारावास अथवा दोनों हो सकते हैं और दोषसिद्धि के बाद निरंतर अपराध करना जारी रखने पर प्रत्येक दिन के लिए तीन हजार रिंगगिट (लगभग 715 यूएस डॉलर) का जुर्माना लग सकता है।

यह अधिनियम अक्टूबर, 2019 में निरस्त कर दिया गया था।

कोई भी व्यक्ति जो फर्जी समाचार दुर्भावना से, सृजित, प्रकाशित करता है, छपवाता है, वितरित करता है, परिचालित करता है या ऐसे प्रकाशन का प्रसार करता है जिसमें फर्जी समाचार हो, एक अपराध है, दोषसिद्ध हो जाने पर पांच या छह साल तक का (715 यूएस डॉलर) और दोषसिद्धि के बाद निरंतर अपराध करना जारी रखने पर प्रत्येक दिन के लिए

इस तरह के कानूनों की आम आलोचना में शामिल है: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन; फर्जी खबर क्या है, यह तय करने के लिए सरकार में ध्यान केंद्रित करने वाली शक्तियां;सरकारें कानून के तहत असहज जानकारी को रोकती हैं। कानून अक्सर सोशल मीडिया कंपनियों को उनके प्लेटफार्मों पर होस्ट की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार नहीं बनाते हैं।"

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

102. समेकित एफडीआई नीति (28 अगस्त, 2017 से प्रभावी) निम्नानुसार इंगित सीमा तक प्रिंट मीडिया में एफडीआई की अनुमति देता है:

समाचार और समसामयिकी मामलों से संबंधित समाचारपत्र और आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26%	सरकारी माध्यम
समाचारपत्र और समसामयिकी से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करणों का प्रकाशन	26%	सरकारी माध्यम
वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं/आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण	100%	सरकारी माध्यम
विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकारी माध्यम

103. सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशानिर्देश निम्नानुसार है:-

एक. विदेशी तकनीकी/वैज्ञानिक विशिष्ट पत्रिकाओं/पत्र पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश।

दो. वैज्ञानिक/तकनीकी/विशिष्ट पत्रिकाओं/पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भारतीय संस्थानों में विदेशी निवेश के लिए दिशानिर्देश।

तीन. समाचार और समसामयिकी से संबंधित समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश।

चार. विदेशी समाचारपत्रों की प्रतिकृति संस्करणों के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश।

पांच. समाचारपत्र और समसामयिकी से संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश।

104. प्रसारण क्षेत्र/कार्यकलापों के लिए विदेशी निवेश हेतु मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय है। नीचे दी गई तालिका प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई कैप को दर्शाती है।

सारणी संख्या 13: प्रसारण क्षेत्र में एफडीआई कैप **क. प्रसारण कैरिज सेवाएं**			
क्षेत्र/कार्यकलाप	**इक्विटी का % / एफडीआई कैप**	**क्षेत्रीय कैप**	**प्रवेश मार्ग**
(1) **टेलीपोर्ट्स** (अप-लिंकिंग हब्स/ टेलीपोर्ट्स); (2) **केबल नेटवर्क** (मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन कर रहे हैं और डिजीटलीकरण और पहुंच के लिए नेटवर्क का उन्नयन); (3) मोबाइल टीवी ;	100%	49%(2011 की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार)	स्वचालित/ सरकार
(4) **केबल नेटवर्क** (अन्य एमएसओ डिजीटलीकरण और पहूंच तथा स्थानीय केबल ऑपरेटर्स के लिए (एलओसी) नेटवर्क के उन्नयन का काम नहीं कर रहे हैं)	100%		स्वचालित

ख. प्रसारण सामग्री सेवाएं			
क्षेत्र/कार्यकलाप	**इक्विटी का % / एफडीआई कैप**	**क्षेत्रीय कैप**	**प्रवेश मार्ग**
स्थलीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो), एफएम रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट ऐसे - नियमों और शर्तों के अध्यधीन	49%		सरकार

'समाचार और समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिंकिंग	49%	(2011 की मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार) 26 प्रतिशत	सरकार
'गैर-समाचार समसामयिकी' टीवी चैनलों का अपलिंकिंग टीवी चैनलों का/डाउनलिंकिंग	100%	100%	स्वचालित

105. डीटीएच और एचआईटीएस दिशानिर्देशों में मौजूदा एफडीआई प्रावधान इस प्रकार हैं:

(दो) <u>डीटीएच दिशानिर्देश</u>

क. <u>अनुच्छेद 1.2</u>: लाइसेंसधारी कंपनी की प्रदत्त इक्विटी में एफडीआई एफआईआई सहित कुल विदेशी निवेश/ओसीबी/एनआरआई/49% से अधिक नहीं होगा।

ख. <u>अनुच्छेद 1.3</u>: लाइसेंसधारी कंपनी को कुल प्रदत्त इक्विटी में विदेशी इक्विटी का एफडीआई घटक 20% से अधिक नहीं होगा।

ग. <u>अनुच्छेद 1.6</u>: आवेदक कंपनी का बोर्ड पर बहुमत के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय प्रबंधन नियंत्रण हमेशा रहेगा, साथ ही कंपनी का मुख्य कार्यकारी भारत का निवासी नागरिक होना चाहिए।
(49% की निर्धारित सीमा तक विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग पर होगा)

(तीन) <u>एचआईटीएस दिशानिर्देश</u>

क. <u>अनुच्छेद 1.3</u>: कंपनी में पोर्टफोलियो और एफडीआई सहित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश 74% से अधिक नहीं होगा।

ख. <u>अनुच्छेद 1.4</u>: 49% तक एफडीआई स्वचालित मार्ग पर होगा।

ग. <u>अनुच्छेद 6.1</u> : कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

106. ब्रॉडकास्टिंग कैरिज सेवाओं के संदर्भ में डीपीआईआईटी द्वारा जारी समेकित एफडीआई नीति, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रावधान इस प्रकार हैं:-

क. <u>धारा 5.2.7.1</u> डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और हिट्स को 'ऑटोमैटिक रूट' के माध्यम से 100% इक्विटी/एफडीआई पर सीमित किया गया है, जो इस आशय के फुटनोट के अधीन है कि "क्षेत्रीय मंत्रालय से लाइसेंस/अनुमति नहीं लेने की इच्छुक कंपनी में 49% से अधिक के नए विदेशी निवेश का प्रवाह, जिसके परिणामस्वरूप स्वामित्व पैटर्न या मौजूदा निवेशक द्वारा नए विदेशी निवेशक को हिस्सेदारी हस्तांतरण में परिवर्तन होगा, को सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।"

ख. <u>अनुबंध - 7 अनुच्छेद 1.1</u> सभी पूर्वोक्त वर्णित सेवाओं में लगी कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) प्रासंगिक विनियमों और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगा**,** जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।**"**

107. मीडिया से संबंधित एफडीआई में कर्मियों वाले हिस्से पर प्रकाश डालते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने 15-10-2020 को हुए साक्ष्य के दौरान कहा कि अखबारों में एफडीआई की एक सीमा है किंतु ऑनलाइन समाचार के मामले में कोई दिशानिर्देश नहीं है।

108. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने एफडीआई के मुद्दे पर आगे बताते हुए, 15-10-2020 को साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

> “हमने इस दिशा में वाणिज्य मंत्रालय को एफडीआई पर अपनी टिप्पणियां दी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समाचार और मनोरंजन अथवा इसे ऐसे कहें कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के अंतर्गत अलग-अलग निकायों के लिए एफडीआई अलग-अलग है। इसमें भी सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। हमने उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को बढ़ावा देने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।”

घ. <u>शिकायत निवारण तंत्र/लोकपाल</u>

109. मीडिया के विभिन्न स्तरों पर जांच के लिए मॉडलों पर चर्चा करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:-

"पहली बात तो यह है, महोदय, कि आज की तारीख में कोई शिकायत निवारण प्रणाली नहीं है। अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ लिखता है तो मुझे यह भी नहीं पता कि किससे संपर्क करना है, और मेरी शिकायत का निवारण कैसे किया जाए? इसलिए नए नियम बनाते समय हम ऐसी प्रणाली रखने का प्रयास करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे पास विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार के विनियम होंगे। निश्चित रूप से यहां अंतर रखना जरूरी होगा। आज के समय में हर कोई एक नागरिक पत्रकार है। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं, जो मान्यता प्राप्त हैं। इसलिए, मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा उन अन्य लोगों, जो लिख रहे हैं, के बीच एक एक भेद होना चाहिए; और पीसीआई अधिनियम में पत्रकारों के लिए जो भी आचरण विनिर्दिष्ट हैं, उनके लिए उसका पालन किया जाना आवश्यक होगा। चाहे वे प्रिंट में लिख रहे हों या टीवी पर दिखाई दे रहे हों, इसका पालन किए जाने की जरूरत है।"

110. इस संबंध में, एनबीए ने इच्छा जताई है कि झूठी और पेड न्यूज के संबंध में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए, मीडिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में जनता को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे प्रिंट में प्रकाशित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित डिजिटल प्लेटफार्मों द्वारा दिखने वाले "झूठे समाचार" से "प्रामाणिक समाचार" को अलग करने में सक्षम हों। आज मीडिया में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने की कुंजी न केवल मीडिया के नियमन के कानून, दिशा-निर्देश और अन्य औपचारिक और अनौपचारिक चीजें, बल्कि रिपोर्टिंग करते समय जनता को जागरूक करना तथा पत्रकारों को नैतिक मानकों के विषय में प्रशिक्षित करना भी है।

भाग- दो

सिफारिशें/टिप्पणियां

एक. प्राक्कथन

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(क) के तहत वाक् स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न घोषणाओं के माध्यम से उदारतापूर्वक लागू किया गया है, जिसमें न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, बल्कि यह अधिकार भी शामिल है कि सार्वजनिक महत्व और सरोकारों के मामलों पर नागरिकों को सूचित किया जाना चाहिए। मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, अपने नागरिकों को शासन की स्थिति के बारे में सूचित करके जनता के विचारों को जानने और लोकतंत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मीडिया लोकतंत्र में मील का एक पत्थर है। मीडिया की स्वतंत्रता हमेशा से सभी लोकतंत्रों में एक पोषित अधिकार रहा है। तथापि, इतना सशक्त होने के साथ, मीडिया से आशा की जाती है कि वे ईमानदारी और पत्रकारिता में नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुरूप आचरण करें।

तथापि, यह गंभीर चिंता का विषय है कि मीडिया जो कभी लोकतंत्र में नागरिकों के हाथों में सबसे भरोसेमंद हथियार था और जनता के न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है, वह धीरे-धीरे अपनी विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा खो रहा है, जहां मूल्यों और नैतिकता को अपने अनुकूल बनाया जा रहा है। मीडिया द्वारा पेड न्यूज, फर्जी खबर, टीआरपी में हेरफेर, मीडिया परीक्षण, सनसनी फैलाने, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग आदि के रूप में परिलक्षित आचार संहिता के उल्लंघन के बड़े पैमाने पर उदाहरणों ने लोगों के मन में इसकी विश्वसनीयता पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र जनता की भागीदारी पर फलता-फूलता है जो जिम्मेदार मीडिया द्वारा सही सूचना के प्रसार के माध्यम से संभव है।

समिति इस बात को ध्यान में रखते हुए, यहां प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष, जस्टिस जी. एन. रे के प्रसिद्ध भाषण को याद करना चाहेगी जिसमें कहा गया है कि संसदीय लोकतंत्र केवल मीडिया की चौकस नजरों के तहत ही फल-फूल सकता है। मीडिया का इतना प्रभाव है कि वह किसी भी व्यक्ति, संस्था या किसी भी विचार को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए

समाज पर आज इसका व्यापक और सर्वशक्तिशाली प्रभाव है। इतनी शक्ति और क्षमता के साथ, मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि से आँखे नहीं फेर सकता। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है, जो सेवा करता है। इस कारण दूसरों से 'प्रश्न' करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। तथापि, इन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए, मीडिया को सूचना एकत्र करने और प्रसारित करने में कुछ नैतिक मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।

श्री रे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करते हुए, समिति को विश्वास है कि मीडिया चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या सोशल हो, वे या तो नियामक ढांचे अथवा स्व-नियामक तंत्र द्वारा स्थापित नैतिक मानकों का पालन करेगा। समिति को यह भी विश्वास है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और स्वाबलंबिता को अत्यंत महत्व देगी ताकि वे बिना किसी भय और पक्षपात के यथासंभव समाचारों को निष्पक्ष रूप से कवर करें। सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वह इसके लिए अनिवार्य कानूनी और सामाजिक ढांचा सुनिश्चित करें जो मीडिया को उनके पेशे के स्थापित मूल्यों का सम्मान करने और उनका अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अनुवर्ती पैराओं में, समिति ने मौजूदा नियमों की प्रभावकारिता, मीडिया कवरेज हेतु नैतिक मानदंडों को देखने के लिए नियामक ढांचे, नियामक निकायों द्वारा सामना की जा रही विभिन्न बाधाओं आदि पर अपनी टिप्पणियां दी हैं और आशा करती है कि इन सिफारिशों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया की विश्वसनीयता बहाल करने और मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंडों को सुनिश्चित करने में काफी मदद मिलेगी।

2. समिति नोट करती है कि भारत में कुल 1,44,893 समाचार-पत्र/पत्रिकाएं हैं जो भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई) के पास पंजीकृत हैं, 926 अनुमति प्राप्त उपग्रह टेलीविजन चैनल हैं जिनमें 387 चैनल समाचार और करेंट अफेयर्स श्रेणी और 539 गैर-समाचार और करेंट अफेयर्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 36 दूरदर्शन चैनल हैं जिनमें 2 समाचार और 34 गैर-समाचार चैनल हैं, 495 आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशन और 384 निजी एफएम रेडियो स्टेशन हैं। समिति ने पाया कि उपरोक्त के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि ने पत्रकारिता में नागरिकों तक आसान पहुंच बनाई है। नागरिक घटनाओं को कैप्चर करने और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने के लिए अपने व्यक्तिगत रिकॉर्डिंग उपकरणों और सेल फोन का उपयोग करते हैं। तथापि, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के पास भारत में इंटरनेट वेबसाइटों की संख्या के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है।

एक लोकप्रिय वेबसाइट "Internetlivestats.com" के अनुसार, वर्तमान में दुनिया भर में 150 करोड़ से अधिक वेबसाइटें हैं और आशा की जाती है कि इनमें से लगभग 20 करोड़ वेबसाइटें दुनिया भर में सक्रिय हैं।

उपरोक्त स्थिति में, समिति प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में नैतिक मानदंडों के पालन के लिए मौजूदा अधिनियमों तथा उपबंधों तथा हाल ही में अधिसूचित 'सूचना प्रौद्योगिकी ('मध्यवर्तियों' के लिए दिशानिर्देश तथा डिजिटल माध्यम में नैतिक संहिता) नियम, 2021', जिसका भाग दो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रशासित 'मध्यवर्तियों' से संबंधित है तथा भाग तीन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता से संबंधित है, से अवगत है। समिति आशा करती है कि यह दिशानिर्देश डिजिटल मीडिया में सामग्री को विनियमित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे तथा दोनों मंत्रालय साथ मिलकर सामंजस्यपूर्वक यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि नैतिकता संबंधी संहिता का डिजिटल मीडिया में भी पालन हो। समिति मंत्रालय से यह आग्रह करती है कि वह सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त रूप से परामर्श लेना सुनिश्चित करे तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पूरी तरह से संरक्षित रखते हुए डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए सशक्त प्रणाली का प्रयोग करे।

दो. <u>प्रिंट मीडिया</u>

(एक) <u>प्रिंट मीडिया में नैतिक मानकों का पालन करने के लिए मौजूदा संहिता/अधिनियम/तंत्र</u>

3. समिति नोट करती है कि भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के अंतर्गत एक सांविधिक, अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कि प्रेस के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह नैतिकता के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए क्रमशः प्रेस के विरुद्ध और उसकी शिकायतों पर निर्णय करता है। प्रिंट मीडिया के लिए नैतिक मानदंडों को संहिताबद्ध करने के लिए अपनाए गए मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि समाचार, विचार, टिप्पणियां और सूचना प्रेस द्वारा सार्वजनिक हित में सही, सटीक, निष्पक्ष और सभ्य तरीके से प्रसारित की जाए तथा समाज और संबंधित व्यक्तियों एवं संस्था पर इसके रिपोर्टिंग के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखा जाए। एक अन्य मानदंड है प्रायोजित समाचार की सामग्री पर ध्यान देना जो कि सामने आया है, और गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता को नुकसान पहुंचा रहा है। अधिनियम की धारा 14, परिषद को, यदि उसे यह पता चलता है कि किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी ने पत्रकारिता नैतिकता या सार्वजनिक

आचरण के मानकों को ठेस पहुंचाई है अथवा किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध पेशेवर दुराचरण की शिकायत प्राप्त हुई है तो उस स्थिति में उसे समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या सेंसर करने अथवा संपादक या पत्रकार के आचरण को अनुचित करार देने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा, पीसीआई ने प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(1) के तहत समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों को प्रिंट मीडिया पत्रकारिता में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए और पत्रकारों को नैतिक सीमाओं के भीतर पेशे का अभ्यास करने के लिए पत्रकारिता आचरण के मानदंड तैयार किए हैं, जो सिद्धांतों और नैतिकता के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों पर विस्तृत दिशा-निर्देशों को कवर करते हैं। समय-समय पर इसके द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण न्यायनिर्णयों के आधार पर नए मानदंडों को शामिल करते हुए परिषद द्वारा इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा है।

तथापि, समिति यह जानकार अत्यधिक व्यथित है कि दोषी समाचार पत्र पीसीआई द्वारा सेंसर किए जाने के बाद भी वही गलतियां दोहराते हैं जब तक कि भारत सरकार की नीति के अनुसार उस विशेष समाचार पत्र को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) द्वारा निश्चित समयावधि के लिए विज्ञापनों को रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जाती। यह नोट करना आश्चर्यजनक है कि बीओसी द्वारा ऐसे समाचार पत्रों के खिलाफ निर्णय लेने में बहुत समय लगता है जो अंतत निर्णय के प्रभाव को कमजोर करते हैं। अनुमानत:, यदि आज पीसीआई एक समाचार-पत्र को सेंसर करने का निर्णय लेता है, बीओसी को सरकारी विज्ञापन को रोकने का निर्णय लेने में लगभग एक साल लगता है। इसलिए प्रेस परिषद ने प्रस्ताव किया है कि भारत सरकार पीसीआई के निर्णयों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित करे और ऐसे दोषियों को सरकारी विज्ञापन देने से रोक दे ताकि दोषी समाचार पत्रों पर पीसीआई के निर्णय को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। समिति का मानना है कि पीसीआई का प्रस्ताव सही है जिससे न केवल उन्हें भेजे गए मामलों पर बीओसी द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी बल्कि दोषी समाचार पत्रों पर भी निवारक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, समिति सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और बढ़ावा देने के हित में पीसीआई द्वारा सेंसर किए गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बीओसी के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करने का आह्वान करती है।

4. समिति नोट करती है कि 2016, 2017 और 2020 के दौरान पीसीआई के सेंसर के कुल 105 मामले थे, जिनमें से 73 मामलों को बीओसी ने निलंबित कर दिया था। समिति को बताया गया है कि अन्य 31 मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि प्रकाशन बीओसी पोर्टल पर नहीं हैं और एक मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि कई प्रकाशन, जो बीओसी पोर्टल पर नहीं हैं, यद्यपि उसे पीसीआई द्वारा सेंसर किया गया है और उसे बीओसी को कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। समिति ऐसी परिस्थिति को देखकर दुखी है तथा इस बात की अपेक्षा करती है कि मंत्रालय/पीसीआई, पीसीआई की प्रवर्तन प्रणाली को सशक्त बनाएगा जिससे सभी प्रकार के प्रकाशनों, चाहे वह बीओसी पोर्टल का हिस्सा हों या न हों, के प्रति इसके सभी आदेशों पर कार्रवाई हो तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता, यदि हो तो, उसे दूर किया जाए। समिति यह भी चाहती है कि 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्तियों के लिए दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021' के आलोक में मंत्रालय ई-समाचारपत्रों (जो अभी तक प्रिंट समाचार पत्रों की तरह पंजीकृत नहीं हो रहे हैं) 'आईटी नियम, 2021' के प्रति जागरूक लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए।

5. समिति आगे नोट करती है कि पीसीआई का मुखिया एक अध्यक्ष होता है, और इसमें 28 अन्य सदस्य शामिल होते हैं जिनमें से 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें अखिल भारतीय श्रेणियों के रूप में परिषद द्वारा पंजीकृत और अधिसूचित प्रेस संगठनों/समाचार एजेंसियों के संपादकों, श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार पत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मालिकों और प्रबंधकों को नामित किया जाता है,इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों से 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 3 सदस्य साहित्य अकादमी, यूजीसी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नामिति के रूप में सांस्कृतिक, साहित्यिक और कानून के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार, परिषद को इससे जुड़े संपादकों और श्रमजीवी पत्रकारों को अधिसूचित करना होता है। पीसीआई के अध्यक्ष ने बताया कि वे सभी संघ, जिनकी उपस्थिति कम से कम 12 से 15 राज्यों में है, को पहले मान्यता दी जाए, 12 से 15 राज्यों में मान्यता रखने वाला एक संघ होना बहुत कठिन था। अब, विभिन्न राज्यों में बहुत से समाचार पत्र बेचे और पढ़े जाते हैं, अत: परिषद में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले पर गौर किए जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त निवेदन को ध्यान में रखते हुए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि पीसीआई की सदस्यता बढ़ाने के मामले की तत्काल जांच

करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि उसके पास देश के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली व्यापक-आधार वाली सदस्य संख्या हो सके।

6. समिति को सूचित किया गया है कि पीसीआई ने 29.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में इस सुझाव के साथ एक प्रस्ताव पारित किया था कि जब प्रिंट मीडिया में भारतीय प्रेस परिषद के रूप में सतर्क निकाय है, तो क्या संपूर्ण मीडिया अर्थात प्रिंट या अन्य रूप में समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं, ई-समाचार पत्र, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा समाचार प्रसार के किसी अन्य समानांतर मंच की आवश्यकता है। पीसीआई ने सरकार को एक ही कानून बनाने के लिए सिफारिश की है ताकि सभी उपरोक्त मीडिया को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की तर्ज पर शामिल किया जा सके। पीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ महीने पहले उन्हें प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनलों के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं, लेकिन वह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं थे।

समिति ये यह भी पाया है कि पीसीआई, प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करने वाला सांविधिक निकाय शिकायतों का निराकरण कर सकता है और समाचार-पत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या संबंधित पत्रकार को चेतावनी देने, तलब करने या निंदा करने की शक्ति रखता है। तथापि, उसके पास अनुपालन लागू कराने की शक्ति नहीं है क्योंकि पीसीआई द्वारा जारी सलाह अदालत में लागू नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, समाचार प्रसारण को नियंत्रित करने वाले स्व-संगठित समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) को शास्ति लगाने की शक्ति है, लेकिन इसका क्षेत्राधिकार केवल उन संगठनों पर लागू है जो समाचार प्रसारक संघों (एनबीए) के सदस्य हैं। इसलिए, इसकी प्रभावकारिता इसके आदेशों के स्वैच्छिक अनुपालन तक ही सीमित है और इसी पर निर्भर करती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समिति का दृढ़ मत है कि सभी तरह की मीडिया को शामिल करने के लिए पीसीआई को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है, और इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय पीसीआई को एक व्यापक मीडिया परिषद स्थापित करने की संभावना का पता लगाए जिसमें न केवल प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी शामिल किया जाए और जहां आवश्यक हो, उसे अपने आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए सांविधिक शक्तियां प्रदान की जाए, ताकि इसे मीडिया परिदृश्य के समग्र दृष्टिकोण हेतु सक्षम बनाया जा सके तथा अनियमितताओं को रोकने, वाक् और पेशे की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, और उच्चतम नैतिक मानदंड और विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाए जा सके, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ

के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तथापि, इस संबंध में समिति इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि सर्वसम्मति बनाने के लिए इच्छुक समूहों/हितधारकों के मध्य व्यापक विचार-विमर्श के लिए भारत सरकार विशेषज्ञों वाला एक मीडिया आयोग बनाए। इस बीच, इस पर निर्णय लंबित होने तक समिति चाहती है कि मंत्रालय ई-समाचार पत्रों की निगरानी के लिए किसी नियामक ढांचे को व्यापक बनाने की संभावना तलाश करे।

(दो) <u>प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के अनुपालन नहीं करने के मामले</u>

7. समिति नोट करती है कि प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों के उल्लंघन पर, प्रेस परिषद समाचार पत्रों को निर्देश देती है कि वे शिकायतकर्ता के संस्करण को प्रकाशित करने के लिए शुद्धि-पत्र या प्रत्यक्ष प्रतिवादी पत्र प्रकाशित करें और निपटारे के लिए पक्षकारों का किसी समाधान पर पहुंचने का प्रयास करें। पत्रकारिता आचरण के घोर उल्लंघन के मामलों में पत्रों को चेतावनी दी जाती है, फटकारा जाता है और निंदा की जाती है। इसके अलावा, जिन मामलों में समाचार पत्रों को सेंसर किया जाता है, पीसीआई अपने स्तर पर ऐसे निर्णयों पर आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (बीओसी) और राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकार को अग्रेषित करता है। तथापि, समिति यह देखकर निराश है कि पीसीआई के निर्णय जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास भेजे गए थे, उन पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है। विगत 5 वर्षों के दौरान, पीसीआई ने "पत्रकारिता के मानकों" का उल्लंघन करने के लिए 142 समाचार पत्रों को सेंसर किया और संबंधित राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्रों को न्यायनिर्णयन हेतु अग्रेषित किया। यह स्पष्ट रूप से पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों आदि को दंडित करने के लिए पीसीआई की शक्तियों की सीमा को इंगित करता है। समिति का सुविचारित मत है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि उसके कुशल कार्यान्वयन के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद न हो। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार को व्यापक और ठोस उपाय करने चाहिए ताकि समाचार पत्रों और अन्य प्रकाशनों में नैतिकता के उल्लंघन के मामलों पर पीसीआई के निर्णयों को वास्तव में लागू किया जा सके अथवा तार्किक अंत तक पहुंचाया जा सके और संबंधित राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्रों को पीसीआई द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में अवगत कराना अनिवार्य होना चाहिए।

तीन. <u>इलेक्ट्रॉनिक मीडिया</u>

(क) <u>टेलीविजन चैनल</u>

(एक). <u>टीवी चैनलों में नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए मौजूदा संहिता/अधिनियम/प्रणाली</u>

8. समिति नोट करती है कि निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (सीटीएन अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के संदर्भ में विनियमित किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सीटीएन अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा सांविधिक अधिदेश प्राप्त है ताकि टीवी चैनलों द्वारा की जाने वाली सामग्री को विनियमित किया जा सके। इसके अलावा, सरकार ने अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 तैयार किए हैं जिसके अंतर्गत निजी टीवी चैनलों को भारत में अपलिंक/डाउनलिंक करने की अनुमति दी जाती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि चैनल सीटीएन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा समिति के ध्यान में लाया गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रेस काउंसिल एक सांविधिक निकाय है और उसका अस्तित्व प्रिंट मीडिया के लिए है, लेकिन टेलीविजन के लिए ऐसा कोई सांविधिक निकाय नहीं है। जबकि एनबीएसए और एनबीए ने एक संगठन तैयार किया है, परंतु इसे सरकार द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। ऐसे कई चैनल हैं जो एनबीए के सदस्य नहीं हैं। अधिनियम में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई कार्यकारी आदेश के अनुसार होने की बजाय नियम से हो। सीटीएन (विनियमन) अधिनियम, 1995 में प्रस्तावित संशोधनों को 15-01-2020 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक दायरे में रखा गया था और मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि वह हितधारकों/आम जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच कर रहा है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया को कवर करने वाले पूरे प्रसारण क्षेत्र के लिए एक व्यापक संविधि बनाने पर भी चर्चा हो रही है, जो कि अभी जांच के अधीन है। समिति यह चाहेगी कि मंत्रालय मौजूदा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन)

अधिनियम, 1995, जो 25 वर्ष पुराना है, में आवश्यक संशोधन करने के मामले पर शीघ्रतापूर्वक ध्यान दे और यह सुनिश्चित करते हुए कि उक्त अधिनियम की व्याख्या और कार्यान्वयन में अस्पष्टता वाले क्षेत्रों का विधिवत समाधान हो यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित संशोधन उपभोक्ता हितैषी हों। इससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाते हुए हितधारकों की समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। समिति की इच्छा है कि इस संबंध में हुई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

(दो) <u>टीवी चैनलों द्वारा नैतिक मानकों का अनुपालन नहीं करने के मामले</u>

9. समिति नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन संबंधी विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए उपभोक्ता मामले, गृह, विधि और न्याय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विदेश, रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों तथा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) के एक सदस्य के साथ अपर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में एक अंतर मंत्रालयीय समिति (आईएमसी) का गठन किया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) या आम जनता द्वारा यथासूचित, किसी टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत मिलने, अथवा या मंत्रालय द्वारा शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद चैनल को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। सामान्यत: ऐसे मामलों को टीवी चैनल से मिली प्रतिक्रिया के साथ आईएमसी के सामने रखा जाता है। टीवी चैनल को आईएमसी के समक्ष भी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति भी दी जाती है। आईएमसी का कार्यक्षेत्र सिफारिशी प्रकृति का होता है। आईएमसी की सिफारिशों में चेतावनी और सलाह जारी करना, चैनलों से अपने चैनलों पर माफी सूचक स्क्रॉल चलाने के लिए और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर चैनलों को अस्थायी रूप से अलग-अलग अवधि के लिए 'ऑफ एयर' होने के लिए निर्देश देना शामिल है। टीवी चैनल के संबंध में दंड और उसकी मात्रा के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय लेता है।

समिति आगे नोट करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2017-18 में 3 टीवी चैनलों, 2018-19 में 1 चैनल और 2019-20 में 101 चैनलों के मामले में कार्रवाई की थी। समिति उन

मामलों में अत्यधिक वृद्धि के लिए मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से आश्वस्त नहीं है, 2019-20 में जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मंत्रालय ने इस संबंध में औचित्य बताते हुए कहा कि वर्ष 2017 और 2018 के दौरान आईएमसी की 4 बैठकें हुई जिनमें 35 मामलों पर विचार किया गया और 2019 के दौरान आईएमसी की 5 बैठकें हुईं जिनमें 122 मामलों पर विचार किया गया, जिनमें पहले के वर्षों के मामले भी शामिल थे। समिति लंबित मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय पर बैठकें आयोजित करने में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपनाए गए इस स्पष्ट रूप से दिखने वाले ढीले रवैये को गंभीरता से लेती है। इसलिए, समिति इस बात पर जोर देती है कि मंत्रालय कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में उन्हें भेजे गए मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें आयोजित करे और मामलों के बढ़ते जाने की प्रतीक्षा न करें क्योंकि ऐसा ढुलमुल रवैया न केवल की जाने वाली कार्रवाई के प्रभाव को कमजोर करता है बल्कि दोषी चैनलों को बार-बार उल्लंघन करने का अवसर भी देता है।

10. समिति को बताया गया है कि आईएमसी किसी विशेष चैनल द्वारा कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघन के मामलों पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ उस चैनल द्वारा कार्यक्रम संहिता के पिछले उल्लंघनों को ध्यान में रखती है और मंत्रालय से उपयुक्त सिफारिश करता है। निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत श्रेणीकृत शास्तियों के प्रावधान मौजूद हैं। विनिर्दिष्ट दंड इस प्रकार हैं: (I) प्रथम उल्लंघन की स्थिति में कंपनी की अनुमति को निलंबित करना और 30 दिनों की अवधि तक प्रसारण/पारेषण पर रोक, (ii) दूसरे उल्लंघन की स्थिति में कंपनी की अनुमति को निलंबित किया जाना और अनुमति प्राप्त होने की अवधि तक प्रसारण का निषेध, (iii) तीसरे उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी की अनुमति को रद्द करना और अनुमति की शेष अवधि तक प्रसारण पर रोक लगाना, और (iv) अनुमति धारक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लगाए गए दंड का अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, अनुमति का रद्द होना और अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण निषेध तथा भविष्य में नए सिरे से अनुमति प्राप्त करने के लिए पांच वर्ष की अवधि तक की अनर्हता। इस पृष्ठभूमि के आलोक में समिति का यह मानना है कि मंत्रालय चैनलों के उल्लंघन/बार-बार उल्लंघन के मामलों के रिकार्ड का निष्ठापूर्वक रख-रखाव कर रहा है। तथापि, समिति को इस बात में संदेह है कि मौजूदा श्रेणीकृत शास्ति प्रणाली वास्तव में संहिताओं का उल्लंघन करने वालों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर रही है। समिति चाहती है कि इस संबंध में उसे अवगत कराया जाए।

11. समिति पाती है कि 6 मार्च, 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी मलयालम के दो समाचार चैनलों, यथा 'एशियानेट न्यूज' और 'मीडिया वन', के विरुद्ध 48 घंटे तक की निषेधाज्ञा जारी की। तथापि, मंत्री द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी कर निषेधाज्ञा को 48 घंटे से पहले ही वापस ले लिया गया। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) ने सूचित किया था कि इन दोनों चैनलों ने पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा की रिपोर्ट को इस तरीके से दर्शाया जो निर्धारित संहिता, यथा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों, 1994 के नियम 6 (1) (ग) और 6 (1) (ड.) का उल्लंघन था। ऑफ-एयर आदेश के बाद, एशियानेट न्यूज ने 06.03.2020 को बिना शर्त माफी मांगी और प्रसारण को पुन: आरंभ करने का अनुरोध किया। एशियानेट न्यूज द्वारा क्षमा मांगने को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने ऑफ-एयर शास्ति में कटौती की और चैनल को 07-03-2020 को 01:30 बजे से प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। दोनों चैनलों द्वारा किए गए समान उल्लंघनों के लिए आनुपातिक दंड को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 07-03-2020 को सुबह 09:30 बजे से दूसरे चैनल (मीडिया वन) के लिए भी प्रसारण फिर से शुरू कर दिया गया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सूचना और प्रसारण सचिव के स्तर पर चेतावनी के सभी आदेश जारी किए गए थे और ऑफ एयर के आदेश माननीय मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए थे। मंत्रालय यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इस मामले में उस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को सार्वजनिक रूप से क्यों निरस्त करना पड़ा, जिसके बारे में मंत्री को कोई जानकारी नहीं थी।

इसी मामले में समिति पाती है कि 28-2-2020 को दोनों चैनलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद चैनलों ने 03-03-2020 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे। जैसा कि सूचना और प्रसारण सचिव द्वारा टेलीविजन नेटवर्क में बताया गया है, सामान्यत: सभी शिकायतों को एनबीएसए को भेज दिया जाता है। उनकी प्रतिक्रिया और टिप्पणियां मांगी जाती हैं और उसके आधार पर अंतर-मंत्रालयीय समिति एक कार्यकारी आदेश द्वारा कार्रवाई करती है। समिति को इस मामले में यह नोट करते हुए खेद है कि इस विशेष मामले में ऐसी शिकायतों से निपटने में उचित प्रक्रिया का सहारा लेने की बजाय अनावश्यक जल्दबाजी में चैनलों के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई थी। समिति का सुविचारित मत है कि मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार संहिताओं का उल्लंघन किया जाना स्थापित होने से पहले सुने जाने का पर्याप्त अवसर दिए बिना किसी भी चैनल के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करने का निर्णय बहुत कठोर कदम होगा। समिति को विश्वास है कि भविष्य में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऐसे मामलों से निपटने के दौरान पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्य करेगा, अन्यथा ऐसा न हो कि सरकार की ओर से इस तरह के निर्णय को प्रेस की स्वतंत्रता को दबाने के कदम के रूप में देखा जाए।

12. समिति नोट करती है कि केबल नेटवर्क नियम, 2014 के नियम 6 (1) (ड.) में कहा गया है कि "केबल सेवा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना हो अथवा उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के खिलाफ कुछ भी हो या जो राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता हो"। तथापि, सीटीएन नियम, 1994 में उल्लेख किए गए कार्यक्रम संहिता में 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' शब्द को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है। मंत्रालय ने यह औचित्य देते हुए कहा है कि "राष्ट्र विरोधी" को आमतौर पर "राष्ट्रीय हितों या राष्ट्रवाद के विरुद्ध" के रूप में समझा जाता है। तथापि, समिति का सुविचारित मत है कि केबल नेटवर्क नियम, 2014 के नियम 6 (1) (ड.) में प्रयुक्त 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' शब्द निजी चैनलों के अनावश्यक उत्पीड़न का कारण हो सकता है और इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि विनिर्दिष्ट संहिता में इस शब्द की व्याख्या में किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' शब्द को उचित ढंग से परिभाषित किया जाए।

13. प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने कई दशकों से एक कारपोरेट के रूप में प्रसार भारती को पूर्व-दिनांकित किया है, तथा उनके पास पहले से ही मौजूदा कार्यक्रम संहिता और वाणिज्यिक संहिता थे जिसका वे अपनी समाचार और सामान्य प्रोग्रामिंग के लिए कड़ाई से पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त टेलीविजन अपने दृश्य घटक के कारण केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों, 1994 में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन भी करता है। इसके अलावा, आकाशवाणी संहिता बहुत पुरानी और अधिक व्यापक है और समूचे संगठन में वही सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत भी रही है। सामान्य तौर पर प्रसार भारती में नैतिकता से संबंधित शिकायतों के अधिक मामले नहीं आते हैं क्योंकि अधिकांश समाचार प्रचालनों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है जो अनुशासनात्मक नियमों के प्रति जवाबदेह होते हैं। परिपाटी के रूप से इन शिकायतों का निस्तारण दूरदर्शन और आकाशवाणी और प्रसार भारती सचिवालय के महानिदेशालयों के स्तर पर होता रहा है तथा बोर्ड शायद ही कभी संपादकीय मामलों में शामिल हुआ हो।

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौजूदा संहिताएं पर्याप्त हैं, हालांकि, इस अधिनियम के संरेखण के लिए कुछ पहलुओं की आवश्यकता महसूस की जाती है क्योंकि ये संहिताएं प्रसार भारती के अस्तित्व से पहले तैयार की गई थीं। यह बताया गया कि अपेक्षित प्रक्रिया शुरू की जाएगी। समिति चाहती है कि प्रसार भारती, जहां भी आवश्यक हो, इस अधिनियम के साथ संहिताओं के संरेखण की अपेक्षित प्रक्रिया तत्काल शुरू करे और उन्हें इस दिशा में उठाए गए कदमों और उस पर हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। यह समिति द्वारा संस्तुत समग्र समीक्षा और पुनर्संरचना का अंश होगा।

(ख) <u>प्रसारण उद्योग द्वारा टीवी चैनलों में स्व-विनियमन</u>

14. समिति नोट करती है कि निजी टीवी समाचार और गैर-समाचार चैनल स्व-विनियमन की प्रणाली द्वारा शासित होते हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए), जो समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों की प्रतिनिधि संस्था है, ने ऐसी ही एक प्रणाली विकसित की है। एनबीए ने समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है, जिसे प्रसारक को चेतावनी देने, भर्त्सना करने, निंदा करने, अस्वीकृति व्यक्त करने और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने और/या संहिता के उल्लंघन के लिए ऐसे प्रसारक के लाइसेंस को निलंबित/निरस्त करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को सिफारिश करने का अधिकार है। इसके अलावा, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ), गैर-समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसने शिकायतों की जांच और समाधान के लिए प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) की स्थापना की है। कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के मामले में बीसीसीसी संबंधित चैनल को ऐसी सामग्री को संशोधित करने या वापस लेने का निर्देश देती है और उल्लंघनों के श्रेणीकरण के आधार पर अधिकतम 30 लाख रुपये तक का वित्तीय जुर्माना भी लगा सकती है। हाल ही में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन नाम के एक नए स्वत: विनियामक एसोसिएशन की शुरुआत की गई है। इसी तरह एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) एक अन्य स्व-विनियामक स्वैच्छिक संगठन है, जिसने विज्ञापनों के संबंध में शिकायतों पर विचार करने के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) का गठन किया है।

जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सभी 926 निजी सेटेलाइट टीवी चैनल एनबीए और आईबीएफ के सदस्य नहीं हैं और इसलिए उन चैनलों के विरुद्ध

शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेज दी जाती हैं। समिति ने यह भी नोट किया कि पिछले 5 वर्षों अर्थात, 2015 से 2019, के दौरान, यद्यपि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के लिए 141 मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें से 119 मामले ऐसे चैनलों से संबंधित थे जो आईबीएफ और एनबीए सदस्य नहीं थे।

उपरोक्त के आलोक में समिति यह नोट कर संतोष व्यक्त करती है कि स्व-विनियामक निकाय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 141 में से एनबीए और आईबीएफ सदस्यों के केवल 22 मामलों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिससे यह पता चलता है कि गैर सदस्यों के संबंध में अनुपालन दर संतोषजनक नहीं है। इसलिए, समिति का सुविचारित मत है कि मंत्रालय को प्रसारण उद्योग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना चाहिए और यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को स्व-विनियमन की प्रणाली के अंतर्गत लाने के लिए इस मामले की जांच करे तथा स्व-विनियमन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए। इस प्रकार मंत्रालय कुछ जिम्मेदारियों से भी छुटकारा पा सकता है, जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के लिए अतिरिक्त सहायता की भी आवश्यकता होती है।

15. समिति यह जानकर प्रसन्न नही है कि कुल 119 मामलों में से वर्ष 2019 में केवल 87 मामलों में कारवाई की गई थी जो यह दर्शाता है कि मंत्रालय की तरफ से मामलों पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है और इस पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। समिति मंत्रालय के उस तरीके का अनुमोदन नहीं करती जिसमें मंत्रालय मीडिया कवरेज में संहिता के उल्लंघन के लिए लंबा समय लगाता रहा है और समिति चाहती है कि वांछित प्रभाव के लिए मंत्रालय के स्तर पर मामलों का समयबद्ध ढंग से निपटान किया जाए।

ग. <u>टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी)</u>

16. समिति नोट करती है कि टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के रूप में टेलीविजन श्रोताओं के मापन का तंत्र 1993 से अस्तित्व में रहा है जब दूरदर्शन श्रोताओं की रेटिंग दूरदर्शन श्रोता अनुसंधान यूनिट द्वारा एकत्र की जाती थी। इसे इंडियन नेशनल ऑडियंस ट्रेनिंग मेजरमेंट

(आईएनटीएएम), टेलीविजन ऑडिएंस मेज़रमेंट मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (टीएएम), ऑडिएंस मेज़रमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड (एएमएपी) आदि जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा अपनाया गया था। टीएएम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16.01.2014 को टीआरपी एजेंसियों के लिए जारी दिशानिर्देश से पहले देश में धीरे-धीरे एकमात्र टीआरपी एजेंसी बन गयी। बीएआरसी को 28.7.2015 को मंत्रालय द्वारा नीतिगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत 10 वर्ष की अवधि के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसी का प्रमाणपत्र दिया गया था। बीएआरसी एक स्व-नियमित अलाभकारी निकाय है जिसका निर्माण आईबीएफ, द इंडियन सोसाइटी फ़ॉर एडवरटाइजर (आईएसए) और एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा किया गया है। बीएआरसी तकनीकी समिति, निगरानी समिति, अनुशासनिक परिषद और निदेशक मंडल के माध्यम से कार्य करता है। प्रसार भारती के सीईओ द्वारा दिये गए उत्तर के अनुसार जब दर्शकों की संख्या अधिक होती है तब मापन प्रणाली काफी सटीक होती है, जो कि यह दर्शाती है कि क्या देखा जा रा रहा है। बीएआरसी ने कई वर्षों में नमूनों में वृद्धि की है और वर्तमान में बीएआरसी 44,000 घरों की रेटिंग कर रहा है। डिजिटल जगत में विशेष रूप से जनगणना वार मापन किया जाता है। गूगल या फेसबुक इसका मापन समान रूप से करता है और यहां हर किसी का मापन किया जाता है न कि केवल नमूनों का। तथापि, टेलीविजन पर बहुत सी चुनौतियां हैं क्योंकि इसके लिए रिटर्न पाथ डेटा और सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स को उपयोग का मापन करना होता है परंतु इससे निजता संबंधी मुद्दे उत्पन्न होंगे। अतः यह जटिल स्थिति है किंतु वैश्विक तौर पर कतिपय प्रयोग हो रहे हैं। समिति का ध्यान इस तरफ भी दिलाया गया कि भारत मे कुछ ऑपरेटर जैसे टाटा स्काई और एयरटेल भी अपने-अपने सेट टॉप बॉक्सों के माध्यम से मापन करते हैं हालांकि वे आंकड़ों को बीएआरसी के साथ साझा नही करते हैं। इसके अलावा, 80 प्रतिशत घरों में सेट टॉप बॉक्सों का उपयोग होता है।

तथापि, समिति टीआरपी मापने की वर्तमान प्रणाली से संतुष्ट नहीं है और यह बीएआरसी द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपकरणों में छेड़छाड़ के माध्यम से कुछ टीवी चैनलों द्वारा टीआरपी के हेर-फेर के हाल में हुए कथित प्रकरणों की ओर मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती है। यह वर्तमान प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता पर बड़ा प्रश्न उठती है और स्पष्ट रुप से इंगित करती है कि किस प्रकार बार्क के अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ चैनलों द्वारा रेटिंग में हेर-फेर की जाती है। समिति इस पर गंभीरता से विचार करते हुए चाहती है कि मंत्रालय टीआरपी प्रणाली की पूरी

प्रक्रिया की जांच करे एवं इसके मापन के लिए पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली बनाए। समिति यह भी पाती है कि वर्तमान टीआरपी प्रणाली शहरी क्षेत्रों की ओर अत्यधिक झुकी हुई है और नमूने के आकार को बढ़ाते हुए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को समान भारित देकर मापन की इस प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय टीआरपी प्रणाली में सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त तकनीकी उपायों, यथा स्क्रैंबलर्स के उपयोग, द्वारा सेट टॉप बॉक्स में निजता के मुद्दों का समाधान खोजने की संभावना तलाशने सहित टीआरपी प्रणाली में अपनाई गई वैश्विक पद्धति का अध्ययन करें। समिति ने बीएआरसी की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति चाहती है कि भारत सरकार द्वारा लागू बीएआरसी जांच समिति की रिपोर्ट को उसके सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाए।

चार. <u>सोशल/डिजिटल मीडिया</u>

17. समिति नोट करती है कि साइबर सुरक्षा अथवा ऐसी ऑनलाइन सामग्री जिस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69क के तहत कार्रवाई की जानी हो, के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्रयोज्य वैधानिक उपबंधों के अनुरूप समुचित अनुवर्ती कार्रवाई करता है। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने 2017, 2018 और 2019 के दौरान क्रमशः 1385, 2799 और 3603 यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। समिति ने यह भी नोट किया कि ई-समाचारपत्र सहित इंटरनेट पर सभी प्रकाशन पहले आईटी अधिनियम, 2000 के तहत शासित होते थे। तथापि, हाल के घटनाक्रम को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 9 नवंबर 2020 के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन कर दिया है और अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय को डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया अर्थात ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए 'फ़िल्म और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम' और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 'समाचार और समसामयिक जानकारी' संबंधी कार्य के लिए अधिदेशित किया गया है। यह आशा करते हुए कि नए नियम जवाबदेही को सशक्त करने वाले होंगे, समिति यह जानना चाहती है कि मंत्रालय ने जिन उद्देश्यों के लिए उक्त अधिसूचना जारी की थी, उन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है।

विषय की जांच करते हुए समिति ने ऑनलाइन/ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई गई गैर-विनियमित सामग्री, जो अभी तक विनियमन के तंत्र से बच गई है, पर भी विचार

किया। कोविड महामारी के दौरान सिनेमा हॉल बंद होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन/ओटीटी प्लेटफार्मों की तरफ आए। समिति इस बात से अवगत है कि ऐसे प्लेटफार्म पर दी गई सूचना और दिखाई गई सामग्री का प्रभाव अल्प-वय बच्चों सहित दर्शकों पर पड़ सकता है। इसके साथ, समिति इस बात को भी मानती है कि ओटीटी प्लेटफार्म दर्शकों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कि वह अपने देखने के लिए किसी सामग्री का चुनाव करें तथा इस प्रकार की स्वतंत्रता को सरकार द्वारा छीना नहीं जाना चाहिए। समिति नोट करती है कि सामाजिक मीडिया प्लेटफार्म आईटी अधिनियम, 2000 में यथा परिभाषित मध्यवर्ती हैं तथा आवश्यक प्रक्रिया को अपनाने की स्थिति में उन्हें किसी भी प्रकार की देयता से छूट प्राप्त है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश) नियम, 2011 में यथा अधिसूचित है। आईटी अधिनियम की धारा 79 'समुचित सरकार अथवा उसकी एजेंसी' को इस हेतु शक्ति प्रदान करती है कि वह मध्यवर्ती को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित अवैधानिक सामग्री को हटाने के लिए अधिसूचित करे। तथापि, हाल ही में 25 फरवरी 2021 को सरकार ने 'सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्तियों के लिए दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया नैतिक संहिता) नियम, 2021' अधिसूचित किए हैं जिसका भाग दो 'मध्यवर्तियों' से संबंधित है तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शासित है। नए आईटी नियम, 2021 में मध्यवर्तियों की दो नई श्रेणियों का विवरण है तथा महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों द्वारा अतिरिक्त आवश्यक सतर्कता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। समिति को आशा है कि नए नियम/दिशानिर्देश सरकार द्वारा सशक्त निगरानी प्रणाली के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। हालांकि, इस बात पर विचार करते हुए कि यह नियम अपने लागू किए जाने के शुरुआती चरण में हैं, समिति यह सिफारिश करती है कि नियमों के प्रभावकारिता तथा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्रकारीय स्वतंत्रता तथा कलाकारों की रचनात्मकता से जुड़े निहितार्थों के संबंध में सामान्य लोगों, हितधारकों तथा अन्य मीडिया एक्टिविस्ट्स से प्राप्त शिकायतों तथा अनेक समस्याओं के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करे। समिति का मत है कि किसी भी विनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय हों कि न तो उसका दुरुपयोग हो न ही उससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 तथा 21 का उल्लंघन हो। अतएव समिति यह अपेक्षा करती है कि दोनों मंत्रालय इन नए नियमों/दिशानिर्देशों आदि के संबंध में ऑनलाइन/ओटीटी प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित

करने लिए आपस में सामंजस्य को बढ़ावा देते प्रणालीगत जागरूकता का सृजन करें जिससे नियमों का प्रभावी रूप से अनुपालन हो सके।

समिति चाहती है कि मंत्रालय विशेष तौर पर जिला तथा राज्य स्तर पर कार्यकारी/प्रशासनिक अधिकारियों को नए नियमों तथा उनके संभावित दुरुपयोग एवं गलत व्याख्या के संबंध में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं सुनिश्चित करे। समिति चाहती है कि उसे इन नियमों के लागू किए जाने के साथ इस संबंध में मंत्रालय के समक्ष आ रही किसी अन्य समस्या/बाधा के विषय में जानकारी प्रदान की जाए।

<u>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)</u>

18. समिति नोट करती है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विभिन्न रूपों के लिए एफडीआई अलग-अलग कंपनियों के लिए अलग-अलग है। 'समाचार और समसामयिक' प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं तथा इनसे संबंधित विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के लिए एफडीआई की सीमा 26% है और इसे केवल सरकारी माध्यम से किया जाता है जबकि सरकारी माध्यम से ही किए जाने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशेष जर्नल/और आवधिक पत्रिकाओं के प्रकाशन/मुद्रण करते समय इसके प्रतिकृति संस्करण पर एफडीआई की सीमा 100 प्रतिशत है। प्रसारण क्षेत्र में भी इक्विटी/एफडीआई की उच्चतम सीमा का प्रतिशत 49 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है और क्षेत्रीय उच्चतम सीमा 26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है और इसका प्रवेश मार्ग सरकारी/ऑटोमेटिक है। डीटीएच और एचआईटीएस दिशानिर्देश 20 से 74 प्रतिशत तक अलग अलग है और प्रवेश मार्ग तथा प्रबंधन नियंत्रण में भी अंतर है। समिति, मंत्रालय की इस चिंता को कि 'समाचारपत्रों' की एफडीआई की एक सीमा होती है किंतु ऑनलाइन समाचार के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है, को भी नोट करती है।

इस बात को नोट करते हुए कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एफडीआई से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणी वाणिज्य मंत्रालय और औद्योगिक प्रोत्साहन तथा आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को दी है, समिति दोनों मंत्रालयों की प्रतिक्रियाओं से अवगत होना चाहेगी। समिति महसूस करती है कि मीडिया क्षेत्र में सीमा के भीतर एफडीआई प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा सकारात्मक संतुलन को बनाए रखना और आचार नीति के मानकों में कदाचार को रोकने के लिए अच्छा हो सकता है। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया

के लिए एफडीआई नियम इस प्रकार संगत बनाए कि कमी वाले क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके और इसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए इस उद्योग को सहायता दी जा सके।

पांच. <u>विविध</u>

(क) **<u>पेड न्यूज़</u>**

19. समिति को ज्ञात हुआ कि भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद (जांच की प्रक्रिया) विनियमन, 1979 के अनुरूप पेड न्यूज़ की शिकायतों का निवारण करती है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास 'पेड न्यूज' से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने और आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर एक सुविकसित तंत्र है। पीसीआई की एक उप-समिति ने पेड न्यूज पर 2010 में अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व (आरपी) अधिनियम, 1951 में संशोधन की सिफारिश की थी ताकि पेड न्यूज़ की घटनाओं को एक दंडनीय चुनावी कदाचार बनाया जा सके। ईसीआई ने यह भी प्रस्ताव किया था कि आरपी अधिनियम, 1951 में पेड न्यूज को प्रकाशित करना और इसके प्रकाशन के दुष्प्रेरण को उल्लेखनीय दंड के साथ एक चुनावी अपराध बनाया जाए। तथापि, इस मामले को विधि और न्याय मंत्रालय को भेजा गया जिसने इसे भारत के विधि आयोग को भेज दिया तथा इसने 12 मार्च 2015 को चुनावी सुधार पर अपना 255 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया और इसने 2016 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दोनों प्रतिवेदन विधि और न्याय मंत्रालय में विचाराधीन हैं। समिति चाहती है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय पेड न्यूज़ को चुनावी अपराध बनाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु विधि और न्याय मंत्रालय के साथ मामले को उठाए ताकि फेक न्यूज़ की घटनाओं पर इसका निरोधात्मक प्रभाव पड़े। समिति को मामले में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

(ख) <u>फेक न्यूज़</u>

20. फेक न्यूज़ की अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति से निपटने और उसे दंडित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 जैसे कानून पहले से ही विद्यमान हैं। इसके अलावा, तथ्य

जांच इकाई (एफयूसी) की स्थापना दिसंबर 2019 में पीआईबी में की गई है और ऐसे एफसीयू पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकोष्ठ को स्व-प्रेरणा से या इसके विभिन्न इनपुट तरीकों व्हाट्सएप हॉटलाइन नम्बर, ट्विटर और पीआईबी की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में गलत जानकारी से निपटने का कार्य दिया गया है। समिति इस बात से चिंतित है कि गलत/फेक न्यूज़ की समस्या भारत में एक चिंतित करने वाली प्रवृत्ति बन गयी है जहां इस सामग्री में योगदान करने वाले न केवल वेबसाइटों के स्वामी हैं बल्कि वैयक्तिक अंशदाता भी हैं जिन पर नियंत्रण रखना एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, केंद्र सरकार ने अपने 9 नवंबर 2020 की अधिसूचना द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन कर दिया है और इसमें ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध किए गए डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया, फिल्म और दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर समाचार और समसामयिक जानकारी से संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की हैं।

इस संबंध में पीआईबी के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों में तथ्य जांच इकाइयों की स्थापना की सराहना करते हुए समिति चाहती है कि मंत्रालय वायरल वीडियो/समाचार, जो सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करते हैं, के प्रति सतर्क रहने के साथ-साथ और ऐसे अधिक एफसीयू खोले जाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि "फेक न्यूज़" शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाए।

21. समिति सीईओ, प्रसार भारती के इस मत का समर्थन करती है कि नियामक तंत्र में फेक न्यूज़ की जांच और वास्तविक समय पर हस्तक्षेप करने में सक्षम होने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाए। तदनुसार, उपयुक्त कदम उठाए जाने के साथ-साथ 'ऑल्टन्यूज', 'चेक4स्पैन', 'एसएमहॉक्सलेयर' आदि जैसी गैर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से झूठी खबरों की जांच के क्षेत्र में मौजूद विशेषज्ञता का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह ध्यान में रखते हुए कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि जैसे देशों में फेक न्यूज़ विरोधी कानून हैं, समिति चाहती है कि मंत्रालय उनके कानूनों का अध्ययन करे और फेक न्यूज़ जैसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ कानूनी प्रावधान बनाए।

(ग) <u>शिकायत निवारण तंत्र</u>

22. समिति नोट करती है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति की शिकायत के निवारण, यदि उसके विरुद्ध कुछ लिखा गया है, के लिए कोई तंत्र विद्यमान नही है। जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, मंत्रालय लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए विनियमन विभिन्न स्तरों को बनाने की योजना बना रहा है। इस संबंध में समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह सभी स्तरों अर्थात जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर ऐसे शिकायत निवारण तंत्र को शामिल करे और इन्हें लोगों के अनुकूल बनाये। इसके अलावा, सभी टीवी चैनलों, समाचार पत्रों आदि में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र/प्रकोष्ठ/लोकपाल होने चाहिए और इस संबंध में सूचना समाचार पत्र या पत्रिका या उनके चैनल के स्क्रोल पर मुद्रित होनी चाहिए। समिति मंत्रालय से यह भी सिफारिश करती है कि वह 'मीडिया हेल्पलाइन नंबर 'बनाने की संभावना तलाशे ताकि शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाया जा सके जिससे न केवल पीड़ित व्यक्ति/संगठन को मदद मिलेगी बल्कि इससे मीडिया में आचार नीति के मानकों को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

(घ) <u>मीडिया आयोग का गठन</u>

23. इस प्रतिवेदन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं की विस्तृत जटिलताओं को देखते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि एक मीडिया आयोग का गठन किया जाए जो प्रतिवेदन के अंतर्गत आए सभी पहलुओं पर सिफारिश करे। मीडिया आयोग विशेषज्ञों के साथ-साथ हितधारकों से बना एक वृहद निकाय हो जिसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक सख्त समय-सीमा प्रदान की जाए। समिति यह भी चाहती है कि मीडिया आयोग के प्रतिवेदन को मीडिया आयोग के कार्य आरंभ करने के 6 माह के भीतर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

नई दिल्ली; **डॉ. शशि थरूर,**

<u>29 नवंबर, 2021</u> **सभापति,**

8 अग्रहायण, 1943 (शक) **संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

अनुलग्नक- I

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20)

समिति की बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

.....

समिति की बैठक बुधवार, 18 मार्च, 2020 को 1500 बजे से 1540 बजे तक समिति कक्ष संख्या 'ई', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी

3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम

4. डॉ. निशिकांत दुबे

5. चौधरी महबूब अली कैसर

6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

7. डॉ सुकान्त मजूमदार

8. श्री पी. आर. नटराजन

9. श्री संतोष पांडेय

10. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर

11. श्री संजय सेठ

12. श्री तेजस्वी सूर्या

13. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन

14. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

15. डॉ. अनिल अग्रवाल

16. श्री वाई.एस. चौधरी

17. श्री सुरेश गोपी

18. श्री मो. नदीमुल हक

19. श्री सैय्यद नासिर हुसैन

सचिवालय

1.	श्री गणपति भट्ट	-	अपर सचिव
2.	श्री वाई. एम. कांडपाल	-	निदेशक
3.	डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
4.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
5.	श्री शांगरिसो जिमिक	-	उप सचिव

साक्षीगण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

1.	श्री रवि मित्तल	-	सचिव, आईएंडबी
2.	श्री अतुल कुमार तिवारी	-	अपर सचिव
3.	श्री विकास सहाय	-	संयुक्त सचिव (पी एंड ए)
4.	श्री अमित कटोच	-	निदेशक (बीसी)
5.	श्री जी.सी. अरांव	-	निदेशक (आईपी)

2. प्रारंभ में सभापति ने समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों विभागों से संबंधित तीन प्रारूप की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने के लिए आहूत समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx....xxx...xxx...xxx....

4. xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx....xxx...xxx...xxx....

5. xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx...xxx....xxx...xxx...xxx....

(इसके बाद साक्षीगण बुलाए गए।)

6. इसके बाद सभापति ने समिति की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों का स्वागत किया । केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन अधिनियम) 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 जो प्राइवेट चैनलों पर कार्यक्रमों और विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व-सेंसरशिप के लिए विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं करते हैं, के अंतर्गत प्राइवेट टीवी चैनल के कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों के प्रसारण को विनियमित करने के लिए मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए , सभापति ने टीवी चैनलों द्वारा दिखाई जा रही विषय सामग्री को विनियमित करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम और नियमों के माध्यम से मंत्रालय को दिए गए अधिदेश का उल्लेख किया । इस बारे में उन्होंने केबल अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मंत्रालय को दी गई मौजूदा शक्तियों की प्रभावशीलता तथा गलती करने वाले चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के बारे में पूछा तथा इन नियमों के उल्लंघन के बारे में स्वत: संज्ञान लेने या विशिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समिति के बारे में भी पूछा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या ये

मौजूदा व्यवस्था/दिशा-निर्देश मीडिया कवरेज में नैतिक मानदंड को बनाए रखने में सहायक रहे हैं।

इस बारे में सभापति ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों का ध्यान उसके द्वारा 6 मार्च 2020 को दो मलयाली टीवी न्यूज़ चैनल के विरुद्ध जारी हाल के उन निषेधात्मक आदेशों की तरफ आकृष्ट किया जिन्हें 48 घंटे के अंदर वापस ले लिया गया था । उन्होंने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या यह निषेधात्मक आदेश उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किए गए थे या मंत्रालय ने अपने आप स्वत: संज्ञान लिया था। 20 फरवरी 2020 को मीडिया को जारी मंत्रालय की एडवाइजरी का उल्लेख करते हुए सभापति ने इस परिपत्र में 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' शब्दों को शामिल करने के प्रति मंत्रालय की इरादा को जानने की इच्छा व्यक्त की तथा इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या इन शब्दों को कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता में कहीं परिभाषित किया गया है तथा मंत्रालय से इस मामले में ब्यौरा तथा और स्पष्टीकरण की मांग की।

7. सभापति के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने मीडिया आचार पर प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष श्री जी एन रे द्वारा दिए गए एक भाषण से उद्धरण देते हुए शुरू किया। 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' के बारे में प्रश्न पर उन्होंने सबका ध्यान कार्यक्रम संहिता की तरफ आकृष्ट किया जिसमें 'राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण' को परिभाषित किया गया है तथा समिति को बताया कि उन्होंने इस मामले में तद्नुसार एडवाइजरी जारी करने पर कार्य किए। तथापि उन्होंने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि समिति द्वारा इस मामले में मांगे गए और स्पष्टीकरण उसे लिखित में भेजे जाएंगे । दो मलयाली न्यूज चैनलों के विरुद्ध जारी प्रतिषेधात्मक आदेशों के मामले पर सचिव ने समिति को बताया कि यह यह निर्णय उनसे अत्यंत उच्च स्तर पर लिया गया था तथा वह इस मामले पर सही-सही विधिक स्थिति और समिति द्वारा मांगी गई अन्य सूचना पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

8. इसके बाद सभापति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद दिया तथा यह इच्छा व्यक्त की कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाएं जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आश्वासन दिया है।

इसके बाद साक्षीगण चले गए ।

कार्यवाही के शब्दश: रिकार्ड की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई ।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

*****

XXX...XXX....-----मामला इस रिपोर्ट से संबंधित नहीं है

अनुलग्नक- II

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 15 अक्तूबर, 2020 को 1600 बजे से 1805 बजे तक मुख्य समिति, प्रथम तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
3. श्री संतोष पांडेय
4. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
5. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण
6. श्री संजय सेठ
7. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

8. डॉ. अनिल अग्रवाल
9. श्री वाई. एस. चौधरी
10. श्री सैयद जफर इस्लाम
11. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1. श्री वाई.एम.कांडपाल - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक - उप सचिव

साक्षियों की सूची

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया

क्र. सं	नाम	पदनाम
1.	न्यायमूर्ति श्री चंद्रमौलि कुमार प्रसाद	माननीय अध्यक्ष
2.	श्री जयशंकर गुप्ता	सदस्य

प्रसार भारती

1.	श्री शशि एस.वेम्पति	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
2.	श्री मयंक कुमार अग्रवाल	महानिदेशक: डीडी (न्यूज) एवं डीडी
3.	श्री जयदीप भटनागर	डीडी (एमएसडी), आकाशवाणी
4.	श्री प्रकाश वीर	उप-महानिदेशक (संसद एवं प्रचालन)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

क्र. सं	नाम	पदनाम
1.	श्री अमित खरे	सचिव
2.	श्री अतुल कुमार तिवारी	अपर सचिव
3.	श्री के.एस.धतवालिया	प्रधान महानिदेशक, पीआईबी
4.	श्रीमती नीरजा शेखर	संयुक्त सचिव (बी)
5.	श्री विक्रम सहाय	संयुक्त सचिव (पीएंडए)

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), सीईओ, प्रसार भारती (पीबी) और इन विषयों के अन्य प्रतिनिधियों का उनके विचार सुनने के लिए समिति की बैठक में स्वागत किया। उसके पश्चात् अध्यक्ष, पीसीआई ने समिति को पीसीआई की भूमिका, कार्यों और शक्तियों तथा पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के उल्लंघन पर प्रेस के विरुद्ध और प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए प्रेस के विरुद्ध उनके द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों के न्यायनिर्णयन की पद्धति के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात्, उन्होंने प्रेस काउंसिल की शक्तियों की सीमाओं और अपने निर्णयों के कार्यान्वयन में उनके सामने आ रही चुनौतियों तथा मीडिया कवरेज में नैतिक मानक लागू करने को रेखांकित किया। अध्यक्ष, पीसीआई ने नए न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर विचार करने हेतु पीसीआई जैसे सांविधिक निकाय की आवश्यकता भी महसूस की।

3. तदुपरांत, सीईओ, प्रसार भारती ने मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों को लागू करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में दिशा-निर्देशों सहित उनके द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान कार्यक्रम संहिता और वाणिज्यिक

संहिता को रेखांकित करते हुए संक्षिप्त विवरण दिए।

4. तत्पश्चात्, समिति ने वर्तमान विनियमों की अपर्याप्तता, प्रेस रेडियो और टेलीविजन जैसे मीडिया में वर्तमान विनियमों के उल्लंघन का निवारण करने में सामने आ रही चुनौतियां और उनकी सीमा, मीडिया के लिए विनियामक उपयोग की आवश्यकता, ई-न्यूज़ पेपर के विनियमन की आवश्यकता, प्रिंट मीडिया में फर्जी समाचारों को जारी किया जाना, सोशल मीडिया जैसे नए मीडिया का उदय होना और उससे जुड़ी चुनौतियां, कथित टीआरपी से जुड़ी हेरा-फेरी और घोटालों तथा आगे की कार्रवाई आदि जैसे मुद्दों पर पीसीआई और पीबी के प्रतिनिधियों से विभिन्न स्पष्टीकरण मांगे। फर्जी समाचार जारी करने के संबंध में सदस्यों ने बीएआरसी द्वारा अपनाई गई मापन तकनीकों, टीआरपी में की जा रही छेड़छाड़ की संभावनाओं और पद्धति तथा नमूना आकार में खामियों के बारे में पूछा। साक्षियों ने उनके उत्तर दिए।

तत्पश्चात् पीसीआई के साक्षी चले गए।

5. तदुपरांत, सभापति ने समिति की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के सचिव और अधिकारियों का स्वागत किया। सभापति ने अपनी टिप्पणियों में मीडिया कवरेज में नैतिक मानक लागू करने में वर्तमान विनियमों की पर्याप्तता और इस संबंध में मंत्रालय के सामने आ रही चुनौतियों के बारे में पूछा। सभापति ने टीआरपी घोटाले के मुद्दे पर मंत्रालय की टिप्पणियां भी मांगी। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने उत्तर में मुख्यत: प्रौद्योगिकी का अभिसरण, सोशल मीडिया का निमंत्रण/विनियमन/सुगमीकरण और इन्हें नियंत्रित करने में मंत्रालय के सामने आ रहे मुख्य क्षेत्रों जैसे 3 प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया। सचिव ने इस बात पर बल दिया कि केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट, 1995 को पहले ही 25 वर्ष हो चुके हैं और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने सीटीएल एक्ट को डीटीएच पर लागू करने में कानूनी खामी तथा अपलिंकिंग और डाउनलोडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों में समुचित बदलाव परिवर्तनों सहित संशोधन के माध्यम से उन्हें इसके दायरे में लाने की आवश्यकता की ओर भी समिति का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने टीवी चैनलों को विनियिमत करने हेतु पीसीआई जैसा सांविधिक निकाय बनाने की आवश्यकता भी महसूस की। फर्जी समाचारों की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति का विचार था कि फर्जी समाचारों को रोकने की आवश्यकता है। हाल के टीआरपी घोटाले के मुद्दे पर उन्होंने समिति को बीएसआरसी के उद्देश्य और समीक्षा तक रेटिंग को निलंबित करने के उनके द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया। अपनी जिम्मेदारी से बचने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मत था कि कुछ ऐसे मॉडल बनाएं जाएं जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अपनी कुछ जिम्मेदारी लेंगे। इसके बारे में समिति के सभापति ने चाहा कि एमईआईटीवाई की सहायता से उचित दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं और मध्यवर्ती निर्णयों को परिभाषित करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति ने यह भी चाहा कि मंत्रालय मुद्दों के अभिसरण के संदर्भ में अपने पुराने अधिनियमों पर व्यापक रूप से विचार करे।

6. तत्पश्चात् समिति ने वर्तमान विनियमों की अपर्याप्तता, वर्तमान विनियमों के उल्लंघन की शिकायतों का निवारण करने में चुनौतियां प्रेस, रेडियो और टेलीविजन जैसे मीडिया में विनियम और उनकी सीमाएं, पीसीआई की शक्तियां और उनके पुनर्गठन की आवश्यकता, सोशल मीडिया जैसे नए मीडिया का उदय और उससे जुड़ी चुनौतियां, फर्जी समाचारों की समस्या, मीडिया ट्रायल, मीडिया के विनियमन में विभिन्न देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल, मीडिया काउंसिल से संबंधित प्रस्ताव, भारत में विनियमन का व्यवहार्य-मॉडल, मीडिया क्षेत्र में एफडीआई नीति, दूरसंचार के कार्यक्षेत्र का अभिसरण, एमईआईटीवाई और एमआईवी तथा एमआईबी को विषय-वस्तु विनियमन का कार्य आबंटित करने के लिए बाद का नीतिगत प्रस्ताव और एमईआईटीवाई को प्रौद्योगिकी विनियमन, कथित टीआरपी हेरा-फेरी घोटाला, मीडिया से जुड़े विभिन्न कानूनों को संगत बनाए जाने की आवश्यकता, मंत्रालय के कार्य के संबंध में व्यापक समीक्षा और सुधार के लिए

आवश्यकता तथा आगे का मार्ग, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए।

बैठक की कार्यवाही की शब्दश :प्रति रिकार्ड में रखी गई।

तत्पश्चात् साक्षीगण चले गए।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****